



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 12, 2015/पौष 22, 1936

No. 21]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 12, 2015/PAUSA 22, 1936

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन स्तंभ)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2014

सा.का.नि. 23 (ब).—भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित दिनांक 15 अक्टूबर, 2013 के पोत परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. 687 (अ) में निम्न मुद्रित-गतियों का सुधार किया जाता है:

1. (i) पृष्ठ सं. 1 में, शीर्षक 'अनुसूची' के नीचे 'कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (निपुण, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2013' में शब्द 'वरिष्ठता' को शब्द 'वरीयता' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ii) पृष्ठ सं. 1 में, शीर्षक 'संक्षिप्त नाम और प्रारंभ' के अंतर्गत 1(i) में शब्द 'वरिष्ठता' को शब्द 'वरीयता' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
और
1.(ii) में 'अनुमोदन का' पद को 'अनुमोदन के' पद के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
तथा
'प्रभावी होगा' पद को 'प्रभावी होंगे' पद के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iii) पृष्ठ सं. 1 में, शीर्षक 'लागू होना' के अंतर्गत कम सं. 2 की प्रथम पंक्ति में 'धारा 24' के पश्चात 'के' शब्द को 'की' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
2. पृष्ठ सं. 2 में शीर्षक 'परिभाषा' के अंतर्गत कम सं. 3 में
(i) प्रथम पंक्ति में 'इस' शब्द को 'इन' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(ii) घ (i) की प्रथम पंक्ति में 'का' शब्द को 'के लिए' पद द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा द्वितीय पंक्ति में 'दिया गया है' पद को 'दिए गए हैं' पद द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

- (iii) (च) की द्वितीय पंक्ति में 'किया जाए' पद को 'की जाए' पद द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (iv) (छ) की प्रथम पंक्ति में 'परीक्षण और' के परचात् '/' या शामिल किया जाएगा ।
- (v) (झ) की प्रथम पंक्ति में 'अधिनियम' के परचात् 'के' शब्द को 'की' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (vi) (ञ) की द्वितीय पंक्ति में 'अनुपस्थित रहने की' पद के परचात् 'अवधि या' पद को जोड़ा जाएगा तथा 'परन्तु' से नया पैरा शुरू होगा ।
- (vii) (त) की द्वितीय पंक्ति में 'और' शब्द के परचात् '/' चिह्न जोड़ा जाएगा।
- (viii) (द) की प्रथम पंक्ति में 'कर्मचारियों की' पद को हटा दिया जाएगा तथा 'एक सेवा' के परचात् "के कर्मचारी सूच की संख्या" पद को जोड़ा जाएगा और द्वितीय पंक्ति में "पदधारी" के परचात् "स्थानांतरण" शब्द को हटा कर उसे तृतीय पंक्ति में "अध्याय पर" पद के परचात् जोड़ा जाएगा।

3. पृष्ठ संख्या 3 में

- (i) नियुक्ति की विधि के अंतर्गत कम सं. 4 की द्वितीय पंक्ति में पद 'किया जाएगा' को 'की जाएगी' पद के द्वारा तथा अंतिम पंक्ति में 'अपवादिक' शब्द को 'आपवादिक' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ii) कम संख्या 4 ए में
- (क) प्रथम पंक्ति में 'माने जाने वाली' पद को 'माने जाने वाले' पद से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ख) द्वितीय पंक्ति में शब्द 'नीचे वाली' पद को 'नीचे वाले' पद से तथा 'भरी' शब्द को 'भरा' शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ग) तृतीय पंक्ति के शुरू में 'जाएगी' शब्द को 'जाएगा' शब्द के द्वारा तथा 'समावेश' को 'समावेशन' शब्द के द्वारा और चतुर्थ पंक्ति में 'भरी जाएगी' पद को 'भरा जाएगा' पद के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iii) कम संख्या 4 (बी) में

- (क) द्वितीय पंक्ति के अंत में 'करेगा' शब्द को 'किया जाएगा' पद के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iv) शीर्षक 'अनुसूचियां' के नीचे कम संख्या 5 में -

- (i) द्वितीय पंक्ति में 'अर्हता' शब्द के परचात् (,) चिह्न शामिल किया जाएगा।
- (ii) छठी पंक्ति में 'के' शब्द को 'की' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iii) दसवीं तथा बारहवीं पंक्ति में 'होगा' शब्द को 'होगी' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (iv) चौदहवीं पंक्ति में 'दिया जा सकता है' पद को 'दी जा सकती है' पद के द्वारा तथा पंद्रहवीं पंक्ति में 'समावेशन' के परचात् 'स' अक्षर को हटा दिया जाए ।

4. पृष्ठ संख्या 4 में

- (i) शीर्षक 'शक्तियों का रोस्टर' के अंतर्गत चौथी पंक्ति में 'भरा जाएगा' पद को 'भरी जाएगी' पद के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ii) शीर्षक 'आरक्षण' के नीचे कम सं. 7(1) की अंतिम पंक्ति में 'लागू होगा' पद को 'लागू होंगे' पद के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (iii) कम सं. 7(2) की अंतिम पंक्ति में 'लागू होगा' पद को 'लागू होंगे' पद के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (iv) शीर्षक 'सीधी भर्ती के लिए राष्ट्रीयता, चरित्र, शारीरिक योग्यता इत्यादि' के नीचे कम सं. 8(1) की प्रथम पंक्ति में 'उपरोक्त' शब्द के परचात् 'को' शब्द को हटा कर 'मे निम्न बातों का समावेश' शामिल किया जाएगा ।
- (v) इसी पृष्ठ के अंतिम पैरा की प्रथम पंक्ति में 'राष्ट्रीयता का' पद के बाद "ऐसा" शब्द तथा 'प्रमाण देना होगा' पद के बाद "जब भी" पद को 'जो' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

5. पृष्ठ संख्या 5 में

- (i) पैरा (2) की द्वितीय पंक्ति में 'के' शब्द को 'की' शब्द के द्वारा तथा पैरा (3) के अधीन (क) की प्रथम पंक्ति में 'करार के परचात् 'की' शब्द को 'किया' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

- (ii) पैरा (4) की अंतिम पंक्ति में 'ग्रेड' शब्द के बाद 'या' शब्द जोड़ा जाएगा ।
- (iii) पैरा (6) की प्रथम पंक्ति में 'के' शब्द को 'की' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (iv) शीर्षक 'नियुक्ति के लिए विद्यमान कर्मचारियों की पात्रता' पद को 'सीधी नियुक्ति के लिए विद्यमान कर्मचारियों की पात्रता' पद के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा । उसके नीचे पैरा के आगे '9' संख्या डाली जाएगी ।
- (v) पैरा 9 की प्रथम पंक्ति में 'किया गया हो तो' पद के बाद 'पहले से ही' पद जोड़ा जाएगा ।

6. पृष्ठ संख्या 6 में—

- (i) शीर्षक 'रिक्तियों हेतु विज्ञापन के अधीन क्रम संख्या 10 (1) की द्वितीय पंक्ति में 'क्षेत्रीय' शब्द को 'स्थानीय' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (ii) 'कुछ मामलों में लिखित अथवा दक्षता परीक्षा का संचालन' शीर्षक के अधीन क्रम सं. 11 की अंतिम पंक्ति में 'नियुक्ति कर सकते हैं' पद को 'नियुक्ति करें' पद के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (iii) शीर्षक 'सेवा घयन समिति' के अधीन 'क (i)' को 'क(I)' शब्द के द्वारा तथा 'क (ii)' को 'क(II)' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और 'क(II)' के शीर्षक 'महाप्रबंधकों, एचडीसी के लिए' पद को 'एचडीसी के महाप्रबंधकों के लिए' पद के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (iv) 'ख (i)' को 'ख (I)' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

7. पृष्ठ संख्या 7 में

- (i) 'ख (ii)' को 'ख (II)' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 'ख (II)' की प्रथम पंक्ति में 'उपर' शब्द को 'ऊपर' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (ii) 'ग(i)' को 'ग(I)' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 'ग(ii)' को 'ग(II)' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

8. पृष्ठ संख्या 8 में शीर्षक (ड) 'केडीएस में श्रेणी-IV पदों के लिए' में —

- (i) क्रम सं (i) की द्वितीय पंक्ति में 'नीचे का न हो' पद में 'न' शब्द को हटा दिया जाए ।
- (ii) क्रम सं (ii) की तृतीय पंक्ति में 'नीचे न हो' पद में 'न' शब्द को 'का' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (iii) क्रम सं (iv) की प्रथम पंक्ति में 'एससीएसटी' के बीच में '/' अक्षर को हटा दिया जाएगा ।

9. पृष्ठ संख्या 8 में शीर्षक (घ) के नीचे '1, 2, 3, 4' को क्रमशः (i) (ii) (iii) तथा (iv) संख्या में प्रतिस्थापित किया जाएगा ।10. पृष्ठ संख्या 9 में —

- (i) चौथी पंक्ति के अंतिम अक्षर 'में' को 'का' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा । पृष्ठ सं. 9 में पैरा (3) को निम्न वाक्य के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

'3. जहां एक से ज्यादा विभागों में समान ग्रेडों की रिक्तियां सांझे चयन द्वारा भरी जाती हों, वहां समिति के गठन का निर्णय, हर मामले में, अध्यक्ष द्वारा लिया जाएगा ।

12. पृष्ठ सं. 9 में क्रम सं. "13 चयन सूची" के अधीन पैरा को निम्न पैरा के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

"सीधी नियुक्ति/पदोन्नति हेतु जिन पदों को चिह्नित किया गया हो उनमें नियुक्ति के विचार हेतु सेवा घयन समिति उनके द्वारा विनिर्णित मेरिट के अनुसार घयनित उम्मीदवारों के नाम की अनुबंसा कर सकती है, जिन्हें घयन सूची में रखा जाएगा । ऐसी सूची की वैधता नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाने की तिथि से 12 महीने तक मान्य होगी । सूची की वैधता 6 महीने तक अथवा नयी घयन सूची के अनुमोदन तक, जो भी पहले हो, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बढ़ाई जा सकती है ।"

13. पृष्ठ संख्या 9 में

- (i) क्रम सं. 14 के शीर्षक को निम्न पंक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

"14. सेवा घयन समिति की अनुसंज्ञाओं पर विचार तथा तदर्थ नियुक्तियां:—"

- (ii) उक्त शीर्षक के अंतर्गत पैरा 2 की प्रथम पंक्ति में 'बशर्त' शब्द के बाद 'कि' शब्द को हटा कर 'यह' शब्द के बाद 'कि' शब्द जोड़ा जाएगा और प्राधिकारी को के बाद 'यह' शब्द हटा दिया जाएगा।
- (iii) उक्त शीर्षक के अंतर्गत पैरा 3 में 'बशर्त' के बाद 'आगे यह' जोड़ा जाएगा।
- (iv) उक्त शीर्षक के अंतर्गत पैरा 4 को निम्न पैरा द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:
"बशर्त यह भी कि शुद्ध अस्थायी पद, छुट्टी के कारण रिक्ति अथवा रिक्ति जो सीधी नियुक्ति द्वारा भरने के लिए विहित हो और तत्काल भरना अपेक्षित हो, के मामले में, अध्यक्ष ऐसे किसी योग्य व्यक्ति को एक बार में 6 महीने के लिए, मगर एक साल से अधिक नहीं, तदर्थ आधार पर नियुक्त कर सकते हैं, बशर्त कि :
- (v) उक्त पैरा के नीचे क्रम सं. (i) में 'जाना' को 'जानी' 'जब' को 'जबकि', 'वांचित' को 'वांछित', तथा 'होता' को 'होते' शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा पढ़ा जाए।
14. पृष्ठ संख्या 10 के अंतर्गत
- (i) क्रम सं 18 में 'तथ्यों को दबाना' शीर्षक में 'तथ्यों को दबाना' पद के बाद '-एक अयोग्यता' पद को शामिल किया जाएगा।
- (ii) उक्त शीर्षक के नीचे प्रथम पंक्ति में 'एक अयोग्यता' को तथा द्वितीय पंक्ति में 'सामान्यतरु' को हटा दिया जाए और तृतीय पंक्ति में 'पर' शब्द के बाद 'सामान्यतरु' को जोड़ा जाए तथा 'किसी' शब्द के स्थान पर 'उस' शब्द को प्रतिस्थापित किया जाए।
- (iii) उक्त शीर्षक के नीचे चतुर्थ पंक्ति में 'होती' के स्थान पर 'हो गई' तथा 'किया जाएगा' के स्थान पर 'कर दिया जाएगा' शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाए।
15. पृष्ठ संख्या 10 के
- (i) उक्त शीर्षक के नीचे द्वितीय पंक्ति में "ज्वाइन नहीं करता है" के बाद 'जहां' शब्द को हटा दिया जाए।
16. (i) पृष्ठ संख्या 10 के शीर्षक "18 साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए यात्रा भत्ता का भुगतान" के अंतर्गत प्रथम पंक्ति में "गयी" को "गई" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए तथा द्वितीय पंक्ति में "जो" शब्द को "इसमें" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए, और "बोर्ड की सेवा में पहले से" के बाद "कार्यरत" जोड़ दिया जाए। उसी पंक्ति में "लिखित" के बाद "तथा" जोड़ दिया जाए।
17. पृष्ठ संख्या 10 में -
- (i) शीर्षक "19. परीक्षा अवधि" के अंतर्गत क्रम सं. "(1)" के पहले '1' को हटा दिया जाए।
- (ii) उसी शीर्षक के अंतर्गत द्वितीय पंक्ति के अंतिम अक्षर "के" को "में" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। तृतीय पंक्ति में "अधीन" शब्द को हटा दिया जाएगा तथा "सिवाय" को "केवल" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। उसी पंक्ति में "मामलों" के स्थान पर "मामलों को छोड़कर" पद के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए।
- (iii) उसी शीर्षक के अंतर्गत पांचवीं पंक्ति में "उपाध्यक्ष" के स्थान पर "उप विभागाध्यक्ष" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iv) उक्त शीर्षक के अंतर्गत द्वितीय पैरा की प्रथम पंक्ति में 'बशर्त कि' शब्दों के बाद 'जहां' शब्द को जोड़ा जाएगा।
- (v) उसी शीर्षक के अंतर्गत तृतीय पैरा में "श्रेणी I" को "श्रेणी III" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा द्वितीय पंक्ति में "परिषदा" शब्द के बाद "अवधि" शब्द को जोड़ा जाए।
18. पृष्ठ संख्या 11 में
- (i) "बशर्त" शब्द से नया पैरा शुरू किया जाएगा तथा "बशर्त" के बाद "आगे यह" जोड़ा जाए।
- (ii) तीसरी पंक्ति में "पूरा करने" पद के बाद "की गणना" पद को "हेतु" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iii) तीसरी पंक्ति में "अथवा पद" शब्दों के पर्याय "पर कार्य करने की अवधि को शामिल करने का हक होगा।" पद को जोड़ा जाएगा।
- (iv) क्रम सं. "2" को (2) "3" को (3) संख्या से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (v) क्रम सं. (2) की प्रथम पंक्ति में "समझे" शब्द के बाद "तो" शब्द जोड़ा जाएगा और "समय" शब्द को "बार" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (vi) क्रम सं. (2) की द्वितीय पंक्ति में "बढ़ाया" शब्द को "बढ़ाई" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

- (vii) कम सं. (2) की अंतिम पंक्ति में "जरूरत नहो" शब्दों को "जरूरत हो" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (viii) कम सं. (3) की प्रथम पंक्ति में "की अपनी" शब्दों को "को अपने" शब्दों से तथा "ऐसा" शब्द को "ऐसे" शब्द से द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और "प्रशिक्षण" शब्द के पर्याय "लेना होगा" शब्दों को "लेना अपेक्षित होगा" पदों से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (ix) कम सं. (3) की अंतिम पंक्ति में "जाएगा" को "जाए" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

19. पृष्ठ संख्या 11 में -

- (i) शीर्षक "परिवीक्षा पर कर्मचारियों का पुष्टिकरण" के अंतर्गत "1", "2", "3" को क्रमशः "(1), (2), (3)" संख्या के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (ii) कम सं. (1) "सामान्य" शब्द के नीचे प्रथम पंक्ति में "सेवा काल में" पद के पर्याय "केवल" शब्द जोड़ा जाएगा ।
- (iii) कम सं. (2) के अंतर्गत संख्या (ii) को निम्न पंक्ति के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
" (ii) मामले को डीपीसी के समक्ष (पुष्टिकरण) हेतु प्रस्तुत किया जाएगा ।"
- (iv) कम सं. (3) के अंतर्गत सं. (i) की द्वितीय पंक्ति में "पदोन्नति" शब्द को "पदोन्नत" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
तथा
(ii) की चतुर्थ पंक्ति में "से" शब्द को "का" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

20. पृष्ठ संख्या 12 में -

- (i) प्रथम पंक्ति में "पूरा किया" पद को "पूरी की" पद द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (ii) द्वितीय पंक्ति में "नहीं हुआ" पद को "नहीं रहा", पद के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा "परखें" शब्द को "परखे" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
और
तृतीय पंक्ति में "आवश्यकता है" पद के बाद "तो यथा स्थिति" पद जोड़ा जाएगा ।
और
चतुर्थ पंक्ति में "अवधि" शब्द के पर्याय "को" शब्द जोड़ा जाएगा तथा "बढ़ा सकते हैं।" पद के बाद "जैसा कि मामले की आवश्यकता हो" पद को हटा दिया जाएगा ।
- (iii) छठी पंक्ति में "को" शब्द को "का" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 8वीं पंक्ति में "की जाएगी" पद को "की जानी चाहिए" पद के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (iv) 9वीं पंक्ति में "जाता है" शब्दों के बाद "तो" शब्द जोड़ा जाएगा तथा "पद ग्रेड से" पद को "पद या ग्रेड में" पद के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (v) दूसरे पैरा की पांचवीं पंक्ति में "शीघ्र" शब्द के बाद "ही" शब्द जोड़ा जाएगा तथा "सामान्यतः" शब्द को "सामान्यतः" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (vi) दूसरे पैरा की छठी पंक्ति में "कर्मचारी को" पद के बाद "और" शब्द को हटा दिया जाएगा तथा "उल्लेख" शब्द के बाद "करते हुए" शब्दों को जोड़ा जाएगा ।
- (vii) सातवीं पंक्ति में "जाना चाहिए" शब्दों के बाद "और करते हुए" पद को हटा दिया जाएगा ।
- (viii) 8वीं पंक्ति में "नियुक्ति की" शब्दों को "नियुक्त व्यक्तियों के" पद द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (ix) 9वीं पंक्ति में "व्यक्ति" शब्द के स्थान पर "परंतु क्योंकि वह" पद को शामिल किया जाएगा ।
- (x) 11वीं पंक्ति में "यदि" शब्द के बाद "कोई" शब्द जोड़ा जाएगा ।
- (xi) तीसरे पैरा की दूसरी पंक्ति में "किंतु" शब्द को "इत्कि" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा "उन्हें" शब्द के स्थान पर "उनके बारे में" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

- (xii) तीसरे पैरा की चौथी पंक्ति में "होता" शब्द को हटा दिया जाएगा तथा "नहीं है" शब्दों के बाद "तो" शब्द जोड़ा जाएगा ।
- (xiii) तीसरे पैरा की अंतिम पंक्ति में "जानी चाहिए" पद को "जाए" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा "अथवा" शब्द के परचात् "उन्हें" शब्द जोड़ा जाएगा और "बर्खास्त किया" पद के बाद "जाना चाहिए" पद को "जाए" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

21. (i) शीर्षक "21 परिवीक्षा पर कर्मचारियों की बर्खास्तगी अथवा प्रत्यावर्तन" को निम्न वाक्य से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

"21. परिवीक्षा पर कार्यरत कर्मचारियों की बर्खास्तगी अथवा प्रत्यावर्तन"

(ii) उक्त शीर्षक के नीचे क्रम सं. 1 में "नियम" शब्द को "विनियम" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(iii) उक्त शीर्षक के अंतर्गत क्रम सं. (3) को निम्न पैरा के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(3) "यदि किसी पद पर परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी कर्मचारी को उसके कार्य निष्पादन अथवा आचरण अथवा विभागीय परीक्षा, यदि निर्धारित हो, में अनुत्तीर्ण होने के कारण उस पद पर बनाए रखने के अनुपयुक्त समझा जाता है, तो यदि उनका किसी पद पर ग्रहणाधिकार (लियन) न हो तो उन्हें किसी भी समय बरखास्त किया जा सकेगा या जिस पद पर उनका ग्रहणाधिकार हो उस पद पर वापस कर दिया जाएगा ।"

22. पृष्ठ संख्या 13 में

शीर्षक 22 में "कुछ मामलों में पदोन्नति, पुष्टिकरण के लिए विभागीय परीक्षा" पद के नीचे

(i) प्रथम वाक्य को निम्न वाक्य द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा -

"अध्यक्ष समय समय पर उन पदों को विनिर्दिष्ट कर सकते हैं, जिनमें पुष्टिकरण अथवा पदोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, पास की जानी है ।"

शीर्षक 23 में "विभागीय परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण होने के कारण प्रत्यावर्तन"

(i) उक्त शीर्षक के नीचे द्वितीय पंक्ति में "परीक्षा" शब्द के बाद "तथा" शब्द को हटा दिया जाए ।

(ii) उसी पंक्ति में "पास करनी" शब्दों के बाद "होती है" शब्दों को "होगी" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(iii) चतुर्थ पंक्ति में "निर्धारित" शब्द के बाद "होती है" शब्दों को "हो तो" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(iv) पांचवीं पंक्ति में "किए बिना" शब्दों के बाद "उसकी" शब्द को हटा दिया जाएगा ।

शीर्षक 24 "वरीयता सूची" के अधीन प्रथम पंक्ति में "कर्मचारियों की वरीयता" पद को "कर्मचारियों की आपसी वरीयता" पद से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

23 (i) शीर्षक 25 "वरीयता का निर्धारण" के नीचे क्रम सं. (1) की द्वितीय पंक्ति में "वरीयता" शब्द को "आपसी वरीयता" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा पांचवीं पंक्ति में "ऐसे मामलों" शब्दों के बाद "में" शब्द जोड़ा जाएगा ।

(ii) छठी पंक्ति में "नियुक्तियों" शब्द को हटा दिया जाएगा तथा "वरीयता" शब्द के बाद "पदों के भरे जाने की पद्धति" पद को जोड़ा जाएगा ।

(iii) क्रम सं. 3 को निम्न वाक्य के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"3) पदोन्नति कोटा के रिक्त पदों में नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर वरीयता नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पदोन्नति के लिए अनुमोदन के क्रमानुसार निर्धारित की जाएगी ।"

(iv) क्रम सं. 4 की प्रथम पंक्ति में "किसी" शब्द के बाद "बात के होते हुए भी" पद को जोड़ा जाएगा तथा "के न होने पर" पद को हटा दिया जाएगा और द्वितीय पंक्ति में "नधारित" शब्द को "निर्धारित" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

24. पृष्ठ संख्या 14 में

(i) शीर्षक "27. पदोन्नति हेतु चयन के क्षेत्र" के अधीन क्रम सं. (1) की तृतीय पंक्ति में "अनुसार" शब्द के बाद "के" शब्द जोड़ा जाएगा तथा "कर्मचारी" शब्द को "कर्मचारियों को" पद के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(ii) क्रम सं. 2 (क) की तृतीय पंक्ति में "वर्गीकृत" के बाद "करेंगी और तदनुसार" शब्दों को हटा कर दिया जाएगा शब्दों को शामिल किया जाएगा और पांचवीं पंक्ति में "वर्गीकृत" शब्द के बाद "किया जाएगा तथा चयनसूची में शामिल किया जाएगा ।" पद को शामिल किया जाएगा तथा इसी पैरा की छठी पंक्ति में "वरिष्ठतः" शब्द को "वरीयता" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

- (iii) क्रम सं.2 (ख) की प्रथम पंक्ति में "विभागीय पदोन्नति समितियाँ" पद के बाद "उन" शब्द जोड़ा जाएगा ।
- (iv) उसी पृष्ठ में नोट के पैरा की तृतीय पंक्ति में "बहुत अच्छा" शब्दों के बाद "रहना" शब्द को हटा दिया जाएगा । उसी पंक्ति में "मामले में" शब्दों को "मामलों में" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और "अच्छा" शब्द के बाद "रहना" शब्द हटा दिया जाएगा ।
- (iv) क्रम सं. 3 निम्न वाक्य द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-
"नर-चयन पदों पर पदोन्नति हेतु जहाँ बैचमार्क निर्धारित नहीं है, वहाँ चयन का मापदंड वरीयता-सह-उपयुक्तता होगी ।"
25. पृष्ठ संख्या 15 में
"28 तदर्थ नियुक्ति" शीर्षक के अधीन पैरा को निम्न पैरा के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :
"तत्काल आवश्यकता की दशा में, जब विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अनुशंसित तालिका का पूरा उपयोग हो चुका हो, तो नियोज्य अधिकारी फीडर ग्रेड या पद से वरिष्ठतम योग्य एवं उपयुक्त कर्मचारी को उस पद पर विमुक्त तदर्थ नियुक्ति कर सकते हैं, जो एक बार में छह महीने के लिए तथा एक वर्ष से अधिक नहीं, या विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा जब तक नई तालिका अनुशंसित नहीं की जाती है, इनमें से जो पहले हो, उस समय तक की जानी चाहिए तदर्थ, नियुक्ति, जहाँ अपरिहार्य हो, तभी की जानी चाहिए और नियुक्ति निवर्तन में विनिर्दिष्ट अर्हताओं तथा अनुभव का दृढ़ता से पालन किया जाना चाहिए ।"
26. पृष्ठ संख्या 15 में
शीर्षक "29 अनुक्रमण नियुक्ति" के अधीन पैरा को निम्न पैरा के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :
"इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, अप्वक्ष, इन विनियमों में निर्धारित सामान्य नियुक्ति की प्रक्रिया को त्यागते हुए मंडल के किसी कर्मचारी, जिनकी मृत्यु सेवाकाल के दौरान हुई हो, उनके क्व पुत्र या पुत्री अथवा उनके बाद जीवित धर्मपत्नी/पति की नियुक्ति श्रेणी-III या श्रेणी-IV के पद पर कर सकते हैं, यदि नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के पास निर्धारित अर्हता और अनुभव हों और उसे हर तरह से उपयुक्त पाया जाए ।"
27. पृष्ठ संख्या 15 में
शीर्षक "30 व्याख्या" के अधीन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पैरा को क्रमशः तीन निम्नलिखित पैरा के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :
"इन विनियमों को लागू करते समय केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए यथा संशोधित उन सभी अनुदेशों का पालन किया जाएगा जो इन विनियमों के किसी प्राक्धान के विपरीत न हों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए उन सभी अनुदेशों का पालन किया जाएगा जो उन विषयों पर हों जिन्हें इन विनियमों में निर्दिष्ट रूप में आच्छादित न किया गया हो ।
इन विनियमों में से किसी विनियम की व्याख्या में किसी प्रकार का संदेह होने पर उस विषय को निर्णय हेतु अप्वक्ष के पास भेजा जाएगा ।
ये विनियम, अधिसूचित होने की तारीख पर विद्यमान विभिन्न केतनमानों तथा केतन बिन्दुओं आदि पर लागू होंगे और भविष्य में समय-समय पर यथा संशोधित पर लागू किए जाएंगे ।"
28. पृष्ठ संख्या 15 में
शीर्षक "31 निरस्त और बचत" पद को "निरस्त और परंतुक" पद के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, तथा उसके नीचे लिखित पैरा को हटा कर निम्न पैरा के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:
इन विनियमों के अनुक्रम में सभी विनियमों यथा कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (हल्दिया गोदी परिसर को छोड़कर) (नियुक्ति, वरीयता और पदोन्नति) विनियम, 1985, कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (हल्दिया गोदी परिसर) (नियुक्ति, वरीयता और पदोन्नति) विनियम, 1985 तथा कलकत्ता पत्तन न्यास (विभागाध्यक्षों की नियुक्ति) विनियम, 1990-91 के क्रम में बनी प्रक्रियाएँ, पद्धतियाँ तथा रियाजें जो इन विनियमों के शुरु होने के तत्काल पूर्व लागू थे को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।"
29. पृष्ठ संख्या 16 में
"कोलकाता गोदी प्रणाली की अनुसूची" के अंतर्गत शीर्षक "सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के अंतर्गत (मुख्य प्रशासन)" के बाद "विभाग के" शब्दों को हटा दिया जाएगा ।
30. सामान्य प्रशासन विभाग (मुख्य प्रशासन) के श्रेणी-I पदों हेतु नियुक्ति नियम के अंतर्गत :
क. रिजिस्ट्रार सहायक सचिव/रिजिस्ट्रार सहायक सचिव (पीआरए) के संबंध में
(i) पृष्ठ संख्या 16 के कॉलम सं. 8 के अंतर्गत द्वितीय पंक्ति में "क्षेत्र" शब्द को "विभा" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

- (ii) कॉलम सं. 8 की तीसरी पंक्ति में शब्द "मान्यता" से पूर्व "किसी" शब्द को जोड़ा जाएगा।
- (iii) कॉलम सं. 8 में प्रथम पंक्ति में शब्द "अनिवार्य" तथा छठी पंक्ति में शब्द "वांछनीय" को रेखांकित किया जाएगा।
- (iv) कॉलम सं. 8 (i) की छठी पंक्ति में "अनुषंगिक" शब्द को "अनुबन्धिक" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (v) पृष्ठ संख्या 16 के कॉलम सं. 12 के अंतर्गत "केन्द्रीय क्र. 18400-40500/-" के बाद "के" पद शब्दों को "उस ग्रेड" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

उपसचिव के संबंध में

- (i) पृष्ठ संख्या 17 के कॉलम सं. 8 की प्रथम पंक्ति में "अनिवार्य" शब्द को रेखांकित किया जाए तथा द्वितीय पंक्ति में "किसी-किसी" शब्द को एक बार अर्थात् किसी लिखा जाएगा।
- (ii) पृष्ठ संख्या 17 में कॉलम सं. 12 की प्रथम पंक्ति में "पदोन्नति" को रेखांकित किया जाएगा।
- (iii) पृष्ठ संख्या 18 में कॉलम सं. 8 की प्रथम पंक्ति में "वांछनीय" शब्द को रेखांकित किया जाएगा।
- (iv) पृष्ठ संख्या 18 के कॉलम सं. 8 में "वांछनीय" शब्द के अंतर्गत क्रम सं. (ii) की तीसरी पंक्ति में "डिप्लोमा" शब्द के बाद "भी वांछनीय है" पद जोड़ा जाएगा।

ग. वरिष्ठ उप सचिव के संबंध में

- (i) पृष्ठ संख्या 18 के कॉलम सं. 8 में "अनिवार्य" शब्द को रेखांकित किया जाएगा तथा उसी कॉलम में क्रम सं. (i) की चौथी पंक्ति में "क्षेत्र" को "विद्या" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ii) पृष्ठ संख्या 18 में कॉलम सं. 12 की द्वितीय पंक्ति में "समावेशन" शब्द को रेखांकित किया जाएगा।
- (iii) पृष्ठ संख्या 19 में कॉलम सं. 12 में "प्रतिनियुक्ति" शब्द को रेखांकित किया जाएगा।

सचिव के संबंध में

पृष्ठ संख्या 19

- (i) कॉलम सं. 8 में "अनिवार्य" शब्द को रेखांकित किया जाएगा।
- (ii) कॉलम सं. 11 की द्वितीय पंक्ति में "विधि" शब्दों के बाद "समावेशन" शब्द को जोड़ा जाएगा।

पृष्ठ संख्या 20

- (iii) कॉलम सं. 8 में "वांछनीय" शब्द को तथा कॉलम सं. 12 में "प्रतिनियुक्ति" शब्द को रेखांकित किया जाएगा।
- (iv) कॉलम सं. 12 की 12वीं पंक्ति में "अधिकार" शब्द को "अधिकारी" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (v) कॉलम सं. 12 की 19वीं पंक्ति में "हो" शब्द के हो शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iv) कॉलम सं. 12 में "निकाय" शब्द को "निकाय" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

31. सामान्य प्रशासन विभाग (मुख्य प्रशासन) के हिन्दी अधिकारी व सहायक अधिकारी (खेल) के लिए नियुक्ति नियम के अंतर्गत

क. हिन्दी अधिकारी के संबंध में

पृष्ठ संख्या 21

- (i) कॉलम सं. 2 में पदनाम "हिन्दी अधिकारी" को सहायक सचिव (राजभाषा) सहायी पदनाम के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा कॉलम सं. 12 में "का अनुभव" शब्दों को हटा दिया जाएगा।
- (ii) कॉलम सं. 13 के अंतर्गत "वरि. सहायक सचिव (हिन्दी)" पद को "वरि. सहायक सचिव (राजभाषा)" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iii) कॉलम सं. 12 में "पदोन्नति" तथा "प्रतिनियुक्ति" शब्दों को रेखांकित किया जाएगा।

कल्याण अधिकारी (खेल) के संबंध में**पृष्ठ संख्या-22**

- (i) कॉलम सं. 8 में "अनिवार्य" तथा "वांछनीय" शब्दों को रेखांकित किया जाएगा।
- (ii) कॉलम सं. 8 में छठी पंक्ति में "स्थित" शब्द को "स्थितः" शब्द से तथा उसके परचात (iii) को (ii) शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iii) कॉलम सं. 8 के (iii) में अनुभव के परचात पूर्णविराम चिह्न '।' शामिल किया जाएगा।

32. सामान्य प्रशासन विभाग (मुख्य-प्रशासन) (सूचना-सूचक) के श्रेणी.-I के लिए नियुक्ति नियम के अंतर्गत**क. सहायक अधीक्षक (सूचना) के संबंध में****पृष्ठ संख्या-23**

- (i) कॉलम सं. 8 में शब्द "अनिवार्य" को तथा कॉलम सं. 12 में "पदोन्नति" "समावेशन/प्रतिनियुक्ति" को रेखांकित किया जाएगा।
- (ii) कॉलम सं. 8 में "लेफ्टिनेन्ट" शब्द के परचात "अथवा समतुल्य पदधारित" पद को जोड़ा जाएगा तथा उसी कॉलम में 10वीं पंक्ति में "अथवा समतुल्य पदधारित" पद को हटा दिया जाएगा तथा 16वीं पंक्ति में "जिसकी" शब्द को "जिसको" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

33. सामान्य प्रशासन विभाग (मुख्य प्रशासन) में निजी सचिव हेतु नियुक्ति नियम के अंतर्गत**क. उपाध्यक्ष/अध्यक्ष के निजी सचिव के संबंध में****पृष्ठ संख्या 24**

- (i) कॉलम सं. 8 में शब्द "अनिवार्य" को तथा कॉलम सं. 12 में "समावेशन/प्रतिनियुक्ति" को रेखांकित किया जाएगा। उसी कॉलम के सं. (iv) में "5 वर्ष" शब्दों को "5 वर्षों" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसी कॉलम में "पदधारित" के परचात "अधिकारी" जोड़ा जाएगा।

ख. अध्यक्ष के वरि. निजी सचिव के संबंध में**पृष्ठ संख्या 25**

- (i) कॉलम सं. 8 में शब्द "अनिवार्य" को तथा कॉलम सं. 12 में "समावेशन/प्रतिनियुक्ति" शब्दों को रेखांकित किया जाएगा।
- (ii) कॉलम सं. 11 में "प्रतिनियुक्ति द्वारा" शब्दों के परचात "दोनों के न होने पर सीधे भर्ती द्वारा" पद को जोड़ा जाएगा।
- (iii) कॉलम सं. 12 में "हों" शब्द को "हो" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iv) कॉलम सं. 12 में "समावेशन/प्रतिनियुक्ति" शब्दों के बाद "उन अधिकारियों में से होगी जिन्होंने" पद शामिल किया जाएगा।

34. सामान्य प्रशासन विभाग के तहत विधि प्रभाग में श्रेणी.-I पदों के लिए नियुक्ति नियम के अंतर्गत**क. वरि. विधि अधिकारी के संबंध में****पृष्ठ संख्या 26**

- (i) कॉलम सं. 8 में शब्द "अनिवार्य" तथा "वांछनीय" को रेखांकित किया जाएगा। उसी कॉलम में शब्द "संस्थाओं" को "संस्था" "उपक्रमों" को "उपक्रम" और "विधि" को "विधिक" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ii) कॉलम सं. 8 में "स्थापना" को "संस्था" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iii) कॉलम सं. 12 में शब्द "पदोन्नति" को रेखांकित किया जाएगा।

ख. उप-मुख्यविधि अधिकारी के संबंध में**पृष्ठ संख्या 27**

- (i) कॉलम सं. 8 में "किसी-किसी" को केवल "किसी" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

- (ii) कॉलम सं. 12 में "पदोन्नति" को रेखांकित किया जाएगा ।

पृष्ठ संख्या 27

- (iii) कॉलम सं. 8 में शब्द "स्थापना" को शब्द "संस्था" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा "वांछनीय" शब्द को रेखांकित किया जाएगा।
 (iv) कॉलम सं. 12 में "समावेशन/प्रतिनियुक्ति" को रेखांकित किया जाएगा ।
 ग. मुख्य विधि अधिकारी के संबंध में

पृष्ठ संख्या 27

- (i) कॉलम सं. 8 में शब्द "अनिवार्य" तथा "वांछनीय" शब्द को रेखांकित किया जाएगा ।
 (ii) कॉलम सं. 8 में शब्द "स्थापना" को "संस्था" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
 (iii) कॉलम सं. 12 में "समावेशन" शब्द को रेखांकित किया जाएगा ।
 (iv) पृष्ठ संख्या 27 के कॉलम सं. 12 की बारहवीं पंक्ति में "इस" शब्द को हटा दिया जाएगा तथा 13वीं पंक्ति में "नियमित" शब्द को "नियमित" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
 (v) पृष्ठ संख्या 27 के कॉलम सं. 8 में शब्द "वांछनीय" को शब्द "वांछनीय" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 (vi) पृष्ठ संख्या 28 के कॉलम सं. 12 की नवीं पंक्ति शब्द "में" को "के" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा दसवीं पंक्ति में "इस" शब्द को हटा दिया जाएगा ।
 (vii) पृष्ठ संख्या 28 के कॉलम सं. 12 में "प्रतिनियुक्ति" को रेखांकित किया जाए तथा "वेतनमान रु. 24900.50500/" के बीच में "दृ" अक्षर को हटाकर (-) चिह्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
35. सामान्य प्रशासन विभाग के तहत श्रम और औद्योगिक संपर्क विभाग (एल एंड आईआरओ) के श्रेणी.-I के लिए नियुक्ति नियम के अंतर्गत "औद्योगिक संपर्क विभाग" को "औद्योगिक संपर्क प्रभाग" पढ़ा जाए ।

क. उप कार्मिक अधिकारी के संबंध में

पृष्ठ संख्या 29

- (i) कॉलम सं. 8 में शब्द "अनिवार्य" तथा "वांछनीय" को रेखांकित किया जाएगा ।
 (ii) कॉलम सं. 8 में 17वीं पंक्ति में "स्नातकों की" पद को "स्नातकोत्तर" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 (iii) कॉलम सं. 12 में शब्द "पदोन्नति" को रेखांकित किया जाएगा तथा इसी कॉलम की 22वीं पंक्ति में "अधिकारी" के बाद शब्द "ने" को पद "से, जिन्होंने" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 (iv) कॉलम सं. 13 की 14वीं पंक्ति में शब्द "रूप" को "रूप" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 (v) पृष्ठ संख्या 30 के कॉलम सं. 12 की तीसरी पंक्ति में पद "सेवा की हो" के बाद (,) अर्धविराम को हटाकर पूर्ण विराम चिह्न '।' डाला जाएगा ।

ख. कार्मिक अधिकारी के संबंध में

पृष्ठ संख्या 30

- (i) कॉलम सं. 8 में शब्द "अनिवार्य" तथा "वांछनीय" को रेखांकित किया जाएगा ।
 (ii) कॉलम सं. 8 की 5वीं पंक्ति में शब्द "स्नातक" के बाद "की डिग्री" जोड़ा जाए । उसी कॉलम के 15वीं पंक्ति में पद "5वर्ष" को पद "5वर्षों" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा शब्द "अनुभव" के बाद पूर्ण विराम चिह्न '।' डाला जाएगा ।
 (iii) कॉलम सं. 8 के 27वीं पंक्ति में "स्नातक" शब्द को "स्नातकोत्तर" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 30वीं पंक्ति में "डिग्री" के बाद पूर्ण विराम चिह्न '।' डाला जाएगा ।
 (iv) कॉलम सं. 12 में शब्द "पदोन्नति" तथा पद "समावेशन/प्रतिनियुक्ति" को रेखांकित किया जाएगा ।

- (v) कॉलम सं. 12 की 5वीं, 15वीं तथा 28वीं पंक्ति में शब्द "4 वर्ष" को शब्द "4 वर्षों" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 10वीं पंक्ति में शब्द "कार्मिक" को शब्द "उप कार्मिक" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। उसी कॉलम में 11वीं पंक्ति में शब्द "अधिकारी" के बाद शब्द "के" जोड़ा जाएगा।
- (vi) कॉलम सं. 12 की 19वीं पंक्ति में पद "अधिकारी अथवा" के बाद शब्द "किसी" जोड़ा जाएगा।
- (vii) कॉलम सं. 13 की 12वीं पंक्ति में शब्द "पुनरु" को शब्द "पुनः" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

ग. वरि कार्मिक अधिकारी के संबंध में

पृष्ठ संख्या 31

- (i) कॉलम सं. 8 में शब्द "अनिवार्य" तथा "वांछनीय" को रेखांकित किया जाएगा।
- (ii) कॉलम सं. 8 की 5वीं पंक्ति में शब्द "स्नातक" के बाद पद "की डिग्री" जोड़ा जाएगा तथा 15वीं पंक्ति में शब्द "नौ वर्ष" को शब्द "नौ वर्षों" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। 26वीं पंक्ति में शब्द "स्नातक" को शब्द "स्नातकोत्तर" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iii) कॉलम सं. 8 की 25वीं पंक्ति में शब्द "विषय" को शब्द "विषयों" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iv) कॉलम सं. 11 की 9वीं पंक्ति में शब्द "संगठन" को शब्द "संगठनों" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (v) कॉलम सं. 12 की 12वीं पंक्ति में शब्द "अधिकारी" के बाद शब्द "अथवा" जोड़ा जाएगा।
- (vi) कॉलम सं. 12 की 18वीं पंक्ति में पद "सेवा सहित" के बाद पूर्ण विराम चिह्न '।' हटा दिया जाएगा तथा 30वीं पंक्ति में शब्द "प्रतिनियुक्ति" शब्द को रेखांकित किया जाएगा।
- (vii) कॉलम सं. 12 की 33वीं पंक्ति में शब्द "सरकारी" के बाद (/) चिह्न जोड़ा जाएगा।

30. सामान्य प्रशासन विभाग के तहत एल एंड आईआर प्रभाग के सूचना अधिकारी के लिए नियुक्ति नियम के अंतर्गत

क. सुरक्षा अधिकारी के संबंध में

पृष्ठ संख्या 32

- (i) कॉलम सं. 8 के (i) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "तकनीकी" को शब्द "प्रायोगिकी" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ii) उसी कॉलम की पांचवीं पंक्ति में शब्द "तथा" के बाद शब्द "किसी" शामिल किया जाएगा और छठी पंक्ति में शब्द "सदृश" को शब्द "सदृश" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iii) कॉलम सं. 8 के (i) की 11वीं पंक्ति में पद "अवश्य हो" के बाद विराम चिह्न शामिल किया जाएगा।
- (iv) कॉलम सं. 11 की 9वीं पंक्ति में शब्द "प्रतिनियुक्ति" के पश्चात (/) चिह्न दिया जाए तथा पद "सीधी भर्ती द्वारा" के बाद विराम चिह्न शामिल किया जाएगा।

पृष्ठ संख्या 33

- (v) कॉलम सं. 8 के (ii) में शब्द "भौतिकी" को पद "भौतिक विज्ञान" और शब्द "रसायन" को पद "रसायन शास्त्र" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (vi) कॉलम सं. 8 के (ii) में पद "मान्य डिग्री" को पद "मान्यता प्राप्त डिग्री" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और शब्द "तथा" के बाद शब्द "किसी" को शामिल किया जाएगा। उसी कॉलम में पद "सदृश स्थानों में" को पद "सदृश स्थान में" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा "सामान्य क्षमता में" पद को "समगुल्य हैसियत में" पद द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और "कार्य" शब्द के बाद "करने" शब्द को जोड़ा जाएगा।
- (vii) कॉलम सं. 8 के (iii) की द्वितीय पंक्ति में "तकनीकी" शब्द को "प्रायोगिकी" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 5वीं पंक्ति में "डिप्लोमा तथा" पद के बाद "किसी" शब्द को जोड़ा जाएगा।
- (ix) कॉलम सं. 8 के (iii) की छठी पंक्ति में "सदृश" शब्द को "सदृश" शब्द से तथा 7वीं पंक्ति में "स्थानों" शब्द को "स्थान" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

37. सामान्य प्रशासन विभाग के तहत भूसम्पदा प्रबंधक के संघ में

क. वरिष्ठ सहायक भूसम्पदा प्रबंधक के संबंध में

पृष्ठ संख्या 34-35

- (i) कॉलम सं. 8 में शब्दों "अनिवार्य" तथा "वांछनीय" को एच कॉलम सं. 12 में शब्द "पदोन्मत्ति" को रेखांकित किया जाएगा ।
- (ii) कॉलम सं. 8 पृष्ठ की 7वीं पंक्ति में "स्वानिग में" शब्दों के बाद "डिग्री के साथ" पद को जोड़ा जाएगा ।
- (iii) कॉलम सं. 9 के "ख" में द्वितीय पंक्ति में तथापि शब्द के बाद "किसी" शब्द को जोड़ा जाएगा । नवीं पंक्ति में "किन्तु" शब्द के बाद "आरएसपी विनियम के अधिसूचित होने की तिथि से" पद को जोड़ा जाएगा तथा 15वीं पंक्ति में "आरएसपी विनियम के अधिसूचित होने की तिथि से" पद को हटा दिया जाएगा ।
- (iv) कॉलम सं. 9 के "ख" में 19वीं पंक्ति में "आवश्यक" शब्द को हटा कर "भी अनिवार्य" शब्दों को जोड़ा जाएगा ।
- (v) कॉलम सं. 12 की तृतीय पंक्ति में "प्रबंधक" शब्द के बाद "के" शब्द को जोड़ा जाएगा ।
- (vi) पृष्ठ संख्या 35 के कॉलम सं. 8 में "भूसम्पदा प्रबंधन" शब्दों के बाद अर्द्धविराम चिह्न (,) तथा "अनुभव" शब्द के बाद पूर्णविराम चिह्न '।' दिया जाएगा ।
- (vii) पृष्ठ संख्या 35 के कॉलम सं. 9 में "क्षेत्र" शब्द को "विधा" शब्द के द्वारा तथा "होगी" शब्द को "होगी" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा । इसी कॉलम में अंतिम शब्द "नहीं" शब्द के बाद पूर्णविराम चिह्न '।' दिया जाएगा ।

ख. उप-भूसम्पदा प्रबंधक के संबंध में

पृष्ठ संख्या 36

- (i) कॉलम सं. 8 में शब्दों "अनिवार्य" तथा "वांछनीय" को तथा कॉलम सं. 12 में शब्द "पदोन्मत्ति" को रेखांकित किया जाएगा ।
- (ii) कॉलम सं. 8 की 8वीं पंक्ति में "स्वानिग में" शब्दों के बाद "डिग्री के साथ" शब्दों को जोड़ा जाएगा । इसी कॉलम में "कॉन्सर्टेद सदस्या" शब्दों के बाद पूर्णविराम चिह्न '।' दिया जाएगा । इसी कॉलम में "भूसम्पदा प्रबंधन" शब्दों के बाद अर्द्धविराम चिह्न (,) तथा "अनुभव" शब्द के बाद पूर्णविराम चिह्न '।' लगाया ।
- (iii) कॉलम सं. 9 के "ख" की 19वीं पंक्ति में "आवश्यक" शब्द को "भी अनिवार्य" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा । इसी कॉलम की 23वीं पंक्ति में "क्षेत्र" शब्द को "विधा" शब्द द्वारा तथा "आवश्यक" शब्द को "अनिवार्य" शब्द द्वारा तथा 25वीं पंक्ति में "होगी" शब्द को "होगी" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (iv) कॉलम सं. 12 की 8वीं तथा 17वीं पंक्ति में "वर्ष" शब्द को "वर्षों" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (v) इसी कॉलम के सं. (ii) परा के बाद निम्न परा को जोड़ा जाएगा—
"समावेशन/प्रतिनियुक्ति समतुल्य पदधारित अधिकारी अथवा किसी महापतन न्यास में वरिष्ठ सहायक भूसम्पदा प्रबंधक तथा अन्य समतुल्य पदधारित अधिकारी वतनमान रु.20,000/48,500/ के ग्रेड में 4 वर्षों की नियमित सेवा सहित ।"

ग. भूसम्पदा प्रबंधकों के संबंध में

पृष्ठ संख्या 36-37

- (i) कॉलम सं. 8 में शब्द "अनिवार्य" तथा "वांछनीय" को तथा कॉलम सं. 12 में शब्द "प्रतिनियुक्ति" को रेखांकित किया जाएगा । कॉलम सं. 8 की 8वीं पंक्ति में "स्वानिग में" शब्दों के बाद "डिग्री के साथ" शब्दों को जोड़ा जाएगा तथा 10वीं पंक्ति में "सहित" शब्द को हटा दिया जाएगा ।
- (ii) कॉलम सं. 9 में 19वीं पंक्ति के "क्षेत्र" शब्द को "विधा" द्वारा तथा 17वीं पंक्ति में "आवश्यक" शब्द को "अनिवार्य" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (iii) कॉलम सं. 11 की 4वीं पंक्ति में "द्वारा" शब्द के बाद अर्द्धविराम चिह्न (,) लगाया जाएगा तथा 15वीं पंक्ति में "द्वारा" शब्द के बाद पूर्णविराम चिह्न '।' लगाया जाएगा ।
- (iv) कॉलम सं. 12 की तीसरी पंक्ति में "पदधारित अधिकारी" शब्दों के बाद "अथवा किसी" शब्दों को जोड़ा जाएगा तथा 8वीं, 14वीं तथा 22वीं पंक्ति में "विधायी" शब्द को "विधा" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा । इसी कॉलम की 13वीं पंक्ति में "जोएडी" शब्द के

बाद "भूसम्पदा प्रभाग" शब्दों को जोड़ा जाएगा। इसी कॉलम की 10वीं पंक्ति में "सेवा सहित" शब्दों के बाद पूर्णविराम चिह्न '।' हटा दिया जाएगा। इसी कॉलम में 34वीं पंक्ति में "सर्कारी" शब्द के बाद (/) चिह्न लगेगा। इसी कॉलम के अंतिम पैरा में एसीआर के शब्दों को एपीआर की शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(V) कॉलम सं. 13 की तीसरी पंक्ति में "सम्पदा" शब्द को "भूसम्पदा" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

घ. सहायक भूसम्पदा-प्रबंधक (विधि) के संबंध में

पृष्ठ संख्या 37

के बाद
शेष होने

- (i) कॉलम सं. 1 में कम सं. 1' को कम सं. 4' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ii) कॉलम सं. 2 में सहायक शब्द को वरिष्ठ सहायक शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iii) कॉलम सं. 8 में शब्द "अनिवार्य" तथा कॉलम सं. 12 में "स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति" शब्दों को रेखांकित किया जाएगा। इसी कॉलम की पांचवीं पंक्ति में पद "प्रभक्ति 5 वर्षों" तथा छठी पंक्ति में शब्द "का" को हटा दिया जाएगा।
- (iv) कॉलम सं. 8 (i) की छठी पंक्ति में "बिभी" शब्द के बाद "के साथ 5 वर्षों की प्रतिष्ठा" पद को जोड़ा जाएगा।
- (v) कॉलम सं. 8 के (ii) में द्वितीय पंक्ति में पद "मसौदा लेखन में" को पद "प्रारूप बनाने का" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसी कॉलम में सिविल और वाणिज्यिक के बाद पद "कानून में" को पद "कानूनों के" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा "अन्यास का" को पद "न्यायालय में कार्य चलाने का" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसी कॉलम में शब्द "दिगुलत" का शब्द "दिगुलतों" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा पद "अन कानून" के बाद "और अन्यास तथा प्रक्रिया" को "संबंधी मामलों और प्रक्रियाओं" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (vi) कॉलम सं. 13 की पांचवीं पंक्ति में पद "सहायक सम्पदा प्रबंधक (विधि)" को पद "वरिष्ठ सहायक भूसम्पदा प्रबंधक (विधि)" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा इसी कॉलम के अंतिम पंक्ति में शब्द "जाएंगे" को शब्द "जाएगा" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

38. यातायात विभाग के क्रेनी-1 पदों के लिए नियुक्ति नियम के अंतर्गत

क. वरिष्ठ सहायक यातायात प्रबंधक के संबंध में

पृष्ठ संख्या 39

कॉलम की
शब्द को

- (i) कॉलम सं. 8 की चौथी पंक्ति में शब्द "विषय" को शब्द "विधा" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ii) कॉलम सं. 12 की प्रथम पंक्ति में शब्द "पदोन्नति" को रेखांकित किया जाएगा।
- (iii) कॉलम सं. 12 की छठी पंक्ति में शब्द "वर्ष" को शब्द "वर्षों" तथा 13वीं पंक्ति में शब्द "क्षेत्र" को शब्द "विधा" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iv) कॉलम सं. 13 की छठी पंक्ति में शब्द "प्रबंधक" के बाद शब्द "का" को हटा दिया जाएगा तथा 13वीं पंक्ति में शब्द "यातायात" के बाद शब्द "प्रबंधक" जोड़ा जाएगा।

ख. उप यातायात प्रबंधक के संबंध में

पृष्ठ संख्या 38-39

- (i) कॉलम सं. 8 में " (I) तथा (II) " को क्रमशः "(i) तथा (ii) " द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ii) पृष्ठ सं. 39 की कॉलम सं. 8 की 7वीं पंक्ति में "वर्ष" को "वर्षों" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iii) पृष्ठ सं. 39 की कॉलम सं. 12 की द्वितीय पंक्ति में शब्द "पदोन्नति" के बाद पूर्ण विराम चिह्न '।' लगाया जाएगा। तीसरी पंक्ति में "समावेष्टित/प्रतिनियुक्त" शब्दों को "समावेष्टन/प्रतिनियुक्ति" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा उसके बाद शुरुआत पंक्ति में पद "किया जाएगा" को पद "उन पदधारी अधिकारियों में से होगा" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iv) कॉलम सं. 12 की छठी पंक्ति में शब्द "हो" को शब्द "हों" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। उसी कॉलम की 12वीं पंक्ति में शब्द "वर्ष" को शब्द "वर्षों" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 13वीं पंक्ति में पद "सेवा की हो" के बाद "पान्न होंगे" शब्दों को जोड़ा जाएगा।

कॉलम
में हटा

द्वारा

बाद

तथा
द के

ग. बटि उप यातायात प्रबंधक के संबंध में

पृष्ठ संख्या 39

- (i) कॉलम सं. 8 की द्वितीय पंक्ति में "विशय" शब्द को "विधा" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ii) कॉलम सं. 12 की तीसरी पंक्ति में पद "पदाधारित अधिकारी" शब्दों के बाद "अथवा किसी शब्दों को जोड़ा जाएगा तथा 15वीं पंक्ति में "क्षेत्र" शब्द को "विधा" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। पृष्ठ सं. 40 के कॉलम सं. 12 की 9वीं पंक्ति में "अथवा" शब्द के बाद "सरकारी/" शब्द को जोड़ा जाएगा तथा 12वीं पंक्ति में "निकाय" शब्द को "निकायों" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

घ. यातायात प्रबंधक के संबंध में

पृष्ठ संख्या 40

- (i) कॉलम सं. 11 की चौथी पंक्ति में "द्वारा" शब्द के बाद अर्थ विराम (,) विहिन लगेगा और दसवीं पंक्ति में "पर" शब्द के बाद अर्थविराम विहिन (,) हटा दिया जाएगा।
- (ii) कॉलम सं. 12 की 11वीं पंक्ति में शब्द "पूर्व" शब्द को "पूर्वों" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

पृष्ठ संख्या 41

- (iii) कॉलम सं. 12 की प्रथम पंक्ति में "अथवा" शब्द के बाद "किसी" शब्द को जोड़ा जाएगा तथा उसी कॉलम की तीसरी पंक्ति में "तथा किसी महापत्तन न्यास में यातायात विभाग के" पद को हटा दिया जाएगा। इसी कॉलम की 10वीं पंक्ति में "प्रतिनियुक्ति" को रेखांकित किया जाएगा और 12वीं पंक्ति में "अथवा" शब्द के बाद "सरकारी/" शब्दों को जोड़ा जाएगा। इसी कॉलम की 15वीं पंक्ति में "निकाय" को "निकायों" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। तथा 16वीं पंक्ति में "विभाग" के बाद "के संबद्ध" को "में" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और 17वीं पंक्ति में "विद्यार्थी" में "को" हटा दिया जाएगा। इसी कॉलम की 23वीं पंक्ति में "उपर" शब्द को "उपरिष्ठ उप" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसी कॉलम की 27वीं पंक्ति में "उपर के पद" शब्दों के बाद "पर" शब्द को जोड़ा जाएगा। पृष्ठ संख्या 41 में सबसे अंत में पाद टिप्पणी में निम्नलिखित वाक्य शामिल किया जाएगा—

* जिन विभागों/प्रभागों में, जहां सीधी नियुक्ति का प्रतिपात, अब निर्धारित प्रतिपात से ज्यादा है, वहां वही जारी रहेगा।

39. यांत्रिकी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के श्रेणी-1 पदों हेतु नियुक्ति नियम के अंतर्गत

क. कार्यपालक अभियंता (मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स व कम्प्यूटिकेशन) के संबंध में

पृष्ठ संख्या 42

- (i) कॉलम सं. 8 में "अनिवार्य" शब्द को तथा कॉलम सं. 12 में "पदोन्नति" शब्द को रेखांकित किया जाएगा।
- (ii) कॉलम सं. 8 में वांछनीय के अंतर्गत "सरकारी उपक्रम में" शब्दों के बाद निम्नलिखित पद को हटा दिया जाएगा:
"पद परियहन/मात प्रचालन/रैलवे परिवहन में"
- (iii) उसी कॉलम में संबद्ध शब्द के बाद "क्षेत्र" शब्द को "विधा" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iv) कॉलम सं. 9 के (ख) में "आवरयक" शब्द को "अनिवार्य" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (v) कॉलम सं. 13 में "सहायक अभियंता" शब्दों के बाद "के पदों को" शब्दों को हटा दिया जाएगा तथा 7वीं पंक्ति में "पद" शब्द को "पदों को" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

ख. सुपरिटेन्डिंग इंजीनियर (मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स व कम्प्यूटिकेशन) के संबंध में

पृष्ठ संख्या 43

- (i) कॉलम सं. 5 में "येतनमान 24,900-50,000/-" को "येतनमान 24,900-50,500/-" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ii) कॉलम सं. 8 में "अनिवार्य" शब्द को तथा कॉलम सं. 11 एवं 12 में "पदोन्नति" को और समावेशन/प्रतिनियुक्ति शब्दों को रेखांकित किया जाएगा।
- (iii) कॉलम सं. 9 में "क्षेत्र" शब्द को "विधा" शब्द द्वारा तथा "आवरयक" शब्द को "अनिवार्य" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iv) कॉलम सं. 12 की अन्तिम पंक्ति में "हो" शब्द के बाद पूर्णविराम विहिन (,) दिया जाएगा।

ग. उपमुख्य यांत्रिक अभियंता के संबंध मेंपृष्ठ संख्या 43-44

- (i) कॉलम सं. 8 में "अनिवार्य" शब्द को तथा कॉलम सं. 12 में "समावेशन" शब्द को रेखांकित किया जाएगा। उसी कॉलम में चौथी पंक्ति में "अथवा" के बाद "किसी" शब्द को जोड़ा जाएगा।
- (ii) कॉलम सं. 13 की प्रथम तथा छठी पंक्तियों में "उप मुख्य" शब्दों के बाद "यांत्रिक" शब्द को जोड़ा जाएगा।
- (iii) पृष्ठ संख्या 44 के कॉलम सं. 12 में "प्रतिनियुक्ति" शब्द को रेखांकित किया जाएगा तथा प्रतिनियुक्ति के अधीन "अधिकारी अथवा" शब्दों के बाद "सरकारी/" शब्द को जोड़ा जाएगा तथा अंतिम पंक्ति में "नियमन" शब्द को "नियमित" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

घ. मुख्य यांत्रिक अभियंता के संबंध मेंपृष्ठ संख्या 45

- (i) कॉलम सं. 8 में "अनिवार्य" शब्द को तथा कॉलम सं. 12 में "समावेशन" और "प्रतिनियुक्ति" शब्दों को रेखांकित किया जाएगा।
- (ii) कॉलम सं. 12 में 16वीं पंक्ति में "इंजीनियरिंग विभाग में" शब्दों के बाद "तथा मरीन विभाग में" शब्दों को जोड़ा जाएगा।

पृष्ठ संख्या 46

- (iii) कॉलम सं. 8 में अंतिम पंक्ति "कार्य का अनुभव" शब्दों के बाद "होना होगा" शब्दों को जोड़ा जाएगा।
- (iv) कॉलम सं. 12 की 7वीं पंक्ति में "निकाय" शब्द को "निकायों" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

40. यांत्रिकी इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के सुरक्षा अधिकारी के पद के लिए नियुक्ति नियम के अंतर्गतक. सुरक्षा अधिकारी के संबंध मेंपृष्ठ संख्या 47

- (i) कॉलम सं. 8 की प्रथम पंक्ति में "किसी प्रसिद्ध" शब्दों से पहले संख्या (i) को जोड़ा जाएगा तथा इसी कॉलम की 8वीं पंक्ति में "तकनीकी" को "प्रौद्योगिकी" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 16वीं पंक्ति में "भौतिक" शब्द के बाद "विज्ञान" शब्द जोड़ा जाएगा।

41. यांत्रिकी इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के लिए नियुक्ति नियम (स्थापना सूच्य) के अंतर्गतक. स्थापना अधिकारी के संबंध मेंपृष्ठ संख्या 48

- (i) कॉलम सं. 8 में समाज कल्याण के बाद "श्रम कल्याण" शब्दों को "श्रमिक कल्याण" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ii) कॉलम सं. 12 की द्वितीय पंक्ति में "कार्मिक अधिकारी" शब्द के पहले "उप" शब्द को जोड़ा जाएगा तथा तृतीय पंक्ति में "सेक्रेटरी" को "सेक्रेटरी" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

क. उप सामग्री प्रबंधक के संबंध मेंपृष्ठ संख्या 49-50

- (i) कॉलम सं. 8 में "अनिवार्य" और "वांछनीय" शब्दों को रेखांकित किया जाएगा तथा उसी कॉलम में "वांछनीय" के पर्याय सं. (i) को जोड़ा जाएगा। कॉलम सं. 8 के (ii) में "उपक्रमों में" शब्दों के बाद "योग्यता" को हटा कर "अर्हता प्राप्त करने के" शब्दों को जोड़ा जाएगा।
- (ii) कॉलम सं. 9 में "अधिसूचना की तिथि को" शब्दों के बाद "कार्यरत" शब्द को जोड़ा जाएगा।
- (iii) कॉलम सं. 12 की तीसरी पंक्ति में "वेतनमान रु18,400-40,500/-" शब्दों के बाद "वर्ग" को हटाकर "ग्रेड" लिखा जाएगा तथा उसी कॉलम में जहां-जहां "क्षेत्र" शब्द हों उनको "विधा" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iv) कॉलम सं. 12 में "यांत्रिक अभियंता" शब्दों को "यांत्रिक अभियन्त्रण" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

- (v) कॉलम सं. 13 में "पूर्ण" को "पुनः" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (vi) पृष्ठ संख्या 50 के कॉलम सं. 8 में "वर्षों का" शब्दों के बाद "अनुभव" शब्द को "सामग्री प्रबंधन का अनुभव" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

च. वरिष्ठ सामग्री प्रबंधक के संबंध में

पृष्ठ संख्या 50

- (i) पृष्ठ संख्या 49 में यांत्रिकी एवं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के अंतर्गत "सामग्री प्रबंधन विभाग" की श्रेणी-2 के पदों के नियुक्ति नियम में "सामग्री प्रबंधन विभाग की" को "सामग्री प्रबंधन प्रभाग के" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (ii) कॉलम सं. 8 में "अनिवार्य" के बाद सं. "(1)" को "(i)" द्वारा तथा सं. "(2)" को "(ii)" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा । इसी कॉलम में "अनुभव" शब्द को "सामग्री प्रबंधन का अनुभव" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (iii) कॉलम सं. 9 की 14वीं पंक्ति में "केओपीटी" के बाद "उन" शब्द को जोड़ा जाएगा । तथा 22वीं पंक्ति में "तिथि को" शब्दों के बाद "कार्यरत" शब्द को जोड़ा जाएगा तथा "है" को "हैं" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (iv) कॉलम सं. 12 में "यांत्रिक अभियंता" शब्दों को "यांत्रिक अभियंत्रण" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, इसी कॉलम में "समावेशन/प्रतिनियुक्ति" शब्दों को रेखांकित किया जाएगा ।

ग. सामग्री प्रबंधक के संबंध में

पृष्ठ संख्या 50

- (i) कॉलम सं. 8 में शब्द "अनिवार्य" को रेखांकित किया जाएगा तथा उसी कॉलम में अनिवार्य के नीचे "1" को "(i)" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (ii) कॉलम सं. 11 एवं कॉलम सं. 12 में "एकीकृत पद्धति के जरिए" शब्दों को "सामासिक तिथि के माफ़त" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

पृष्ठ संख्या 51

- (v) कॉलम सं. 8 में "2)" को "(ii)" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए । उसी कॉलम में "वांछनीय" को रेखांकित किया जाए ।
- (vi) कॉलम सं. 9 की प्रथम पंक्ति में "केओपीटी के" शब्दों के बाद "उन" शब्द जोड़ा जाएगा तथा 9वीं पंक्ति में "तिथि को" शब्दों के बाद "कार्यरत" जोड़ा जाएगा । इसी कॉलम में "अनिवार्य है" शब्दों के बाद पूर्ण विराम चिह्न '।' लगाया जाए तथा "गढ़ नहीं" के बाद पूर्ण विराम चिह्न '।' लगाया जाएगा ।
- (vii) कॉलम सं. 12 की 9वीं पंक्ति में "वाले" के बाद "समपुल्य" शब्द को जोड़ा जाएगा तथा इसी कॉलम में शब्द "प्रतिनियुक्ति" को रेखांकित किया जाएगा ।
- (viii) पृष्ठ संख्या 52 कॉलम सं. 12 में वेतनमान "20,600-46,500/-" को "रु.24,900-50,500/-" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

43. वित्त विभाग के श्रेणी-II के पदों के नियुक्ति नियम के अंतर्गत ।

क. वरिष्ठ लेखा अधिकारी के संबंध में

पृष्ठ संख्या 53

- (i) कॉलम सं. 8 में "वांछनीय" को "वांछनीय" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (ii) कॉलम सं. 12 की चौथी पंक्ति में "3 वर्षों की" के बाद "नियमित" शब्द को जोड़ा जाएगा ।

ख. कोषाध्यक्ष के संबंध में

पृष्ठ संख्या 53

- (i) कॉलम सं. 8 में "वाणिज्य में स्नातक" शब्दों के बाद "की डिग्री" शब्दों को जोड़ा जाए ।
- (ii) कॉलम सं. 11 में "समावेश" को "समावेशन" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

द्वारा

ग. उप मुख्य लेखा अधिकारी के संबंध में

पृष्ठ संख्या 54

- (i) कॉलम सं. 5 में बेलनमान "24,900-59,500/-" को "₹24,900-50,500/-" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ii) कॉलम सं. 8 में "अनिवार्य के नीचे" सं. "1" को सं. "(i)" द्वारा तथा सं. "2" को सं. "(ii)" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iii) कॉलम सं. 9 में "स्नातक" के बाद "का" शब्द को हटाकर "की डिग्री" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iv) कॉलम सं. 11 में "समावेश" को "समावेशन" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा "सीधी नियुक्ति" शब्दों के बाद पूर्णविराम चिह्न '।' लगाया जाएगा।
- (v) कॉलम सं. 12 में "व्यक्तमान" के पहले सं. "(i)" जोड़ा जाएगा तथा 8वीं पंक्ति में "ना होने पर" शब्दों के बाद सं. "(ii)" को जोड़ा जाएगा तथा सं. "(ii)" से नया पैरा होगा।
- (vi) कॉलम सं. 12 में "समावेशन/प्रतिनियुक्ति" शब्दों को रेखांकित किया जाएगा।

घ. बरि उप मुख्य लेखा अधिकारी के संबंध में

पृष्ठ संख्या 54

- (i) कॉलम सं. 8 में "अनिवार्य" के बाद "(i)" जोड़ा जाएगा।
- (ii) कॉलम सं. 9 में "आरएसपी विनियमों" शब्दों के बाद "की" शब्द को जोड़ा जाएगा तथा "अधिसूचना" के बाद "की" शब्द को हटाकर "के जारी होने की" शब्दों को जोड़ा जाएगा।
- (iii) कॉलम सं. 11 में "एकीकृत पद्धति के" शब्दों को "सामासिक विधि के" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iv) कॉलम सं. 12 में द्वितीय पंक्ति में "जरिए" के बाद "अविवरण प्रिन्ट" हटा दिया जाएगा और "समावेशन" शब्द को रेखांकित किया जाएगा तथा इसी कॉलम की छठी पंक्ति में "अथवा" को "तथा" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (v) कॉलम सं. 13 की द्वितीय पंक्ति में "रिचर्ड उप" शब्दों को "अप" शब्द के द्वारा तथा "पूरीय पंक्ति" में "अधिकारी शब्द के बाद का" शब्द को के वर्तमान शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा एवं अंतिम पंक्ति में "रिचर्ड" के बाद "उप" शब्द को शामिल किया जाएगा।

पृष्ठ संख्या 55

- (vi) कॉलम सं. 8 की द्वितीय पंक्ति में "वांछनीय" को हटा दिया जाए तथा उसके नीचे "(ii)" जोड़ा जाए।
- (vii) कॉलम सं. 9 की द्वितीय पंक्ति में "स्थित" को "कार्यरत" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (viii) कॉलम सं. 11 में "सीधी नियुक्ति के द्वारा" शब्दों के बाद पूर्णविराम चिह्न लगाया जाएगा।
- (ix) कॉलम सं. 12 की छठी पंक्ति में "पद" को "पदधारी" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (x) कॉलम सं. 12 की सातवीं पंक्ति में "महपत्तन" के बाद "के प्रेच" शब्दों को हटा दिया जाएगा।
- (xi) कॉलम सं. 12 की 11वीं पंक्ति में "मुख्य लेखा अधिकारी" के बाद "तथा समस्त पद" जोड़ा जाएगा।
- (xii) कॉलम सं. 12 की 17वीं पंक्ति में "प्रात्र" को "प्रात्र" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। उसी कॉलम की 18वीं पंक्ति में "प्रतिनियुक्ति" को रेखांकित किया जाएगा।
- (xiii) कॉलम सं. 12 की 30वीं, 31वीं तथा 32वीं पंक्ति में "उप मुख्य लेखा अधिकारी या उसके समकक्ष" पद दो बार होने के कारण हटा दिया जाएगा।
- (xiv) कॉलम सं. 12 की 38वीं पंक्ति में "कारण" को "लिए" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

द. विभागाध्यक्ष एवं मुख्य लेखा अधिकारी के संबंध में

पृष्ठ संख्या 56-57

- (i) कॉलम सं. 11 की प्रथम पंक्ति में "एकीकृत पद्धति के" शब्दों को "सामासिक विधि के" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

- (ii) कॉलम सं. 11 की अंतिम पंक्ति में "द्वारा" शब्द के बाद पुनरिचय विह्न 'I' लगाया जाएगा ।
- (iii) कॉलम सं. 12 की 9वीं, 10वीं तथा 11वीं पंक्ति में किसी गणपत्तन न्याय के विलत विभाग में" को हटा दिया जाएगा । उसी कॉलम की 15वीं पंक्ति में "पद" को "पदधाती" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (iv) पृष्ठ संख्या 57 के कॉलम सं. 12 की तृतीय पंक्ति में "अपर मुख्य" शब्दों को "उप मुख्य लेखा" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
44. विलत विभाग के अंतर्गत योजना व अनुसंधान प्रभाग में श्रेणी-I के पदों हेतु नियुक्ति नियम के अंतर्गत ।

क. इडीपी स्वर्ध के अधीन उप निर्देशक (इडीपी) के संबंध में

पृष्ठ संख्या 57-58-59

- (i) पृष्ठ संख्या 57 के कॉलम सं. 9 की द्वितीय पंक्ति में (ख) के अंतर्गत " नहीं" शब्द को "हां" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (ii) पृष्ठ संख्या 58 के कॉलम सं. 8 की प्रथम पंक्ति में "अथवा" के बाद "किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय या संस्था से" शब्दों को हटा दिया जाएगा तथा कॉलम सं. 8 की 10वीं तथा 11वीं पंक्ति में "स्नातकोत्तर डिप्लोमा सहित" शब्दों को हटा कर "इत्यादि आनुशासिक विशयों में डिग्री" अथवा शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-
- (iii) उसी कॉलम की 16वीं पंक्ति में "स्नातकशब्द के बाद सहित" शब्द को जोड़ा जाएगा तथा उसके परवात "अथवा" शब्द को हटा दिया जाएगा । उसी कॉलम की 24वीं पंक्ति में "स्नातकोत्तर" के बाद "या" शब्द को हटा कर "डिप्लोमा अथवा" शब्दों को जोड़ा जाएगा ।
- (iv) उसी कॉलम की 30वीं पंक्ति में "पोस्ट ग्रेजुएट" को "कम्प्यूटर" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 33वीं पंक्ति में "आई.टी" के बाद "में स्नातकोत्तर डिप्लोमा" शब्दों को जोड़ा जाएगा ।
- (v) कॉलम सं. 8 में "वांछनीय" के अधीन "अधशास्त्र में स्नातकोत्तर" शब्दों के बाद "डिग्री" शब्द को जोड़ा जाएगा ।
- (vi) कॉलम सं. 12 की द्वितीय पंक्ति में 4 वरों शब्दों को 5वर्षों शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (vii) पृष्ठ सं. 59 के कॉलम सं. 8 की 14वीं पंक्ति में "एडमिनिस्ट्रेशन" शब्द के बाद "में" शब्द को जोड़ा जाएगा तथा 16वीं पंक्ति में "डिग्री/डिप्लोमा" के बाद "के" शब्द को जोड़ा जाएगा । 26वीं पंक्ति में "योग्यता" शब्द को "विशेषज्ञ" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

ख. वरि उप निर्देशक (इडीपी) के संबंध में

पृष्ठ सं. 59

- (i) कॉलम सं. 12 की प्रथम पंक्ति में "पदान्ति शब्द को रेखांकित किया जाएगा तथा सं. (i) के अंतर्गत उप प्रबंधक, प्रणालीद्व व " शब्दों को उप निर्देशक, इडीपीद्व" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

पृष्ठ संख्या 60-

- (i) कॉलम सं. 8 की प्रथम पंक्ति में "साइंस" शब्द के बाद "में" शब्द को हटा कर ' / ' विह्न लगाया जाएगा । द्वितीय पंक्ति में "इससे संबंधित विशय" शब्दों को "आनुशासिक विशयों" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (ii) कॉलम सं. 11 की द्वितीय पंक्ति में "दोनों के" शब्दों के बाद "न" शब्द को जोड़ा जाएगा ।
- (iii) कॉलम सं. 12 के द्वितीय पैरा के बाद स (iii) को हटा दिया जाएगा तथा इसी पैरा की चतुर्थ पंक्ति में उप प्रबंधक (प्रणाली) शब्दों को उप निर्देशक(इडीपी)" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

पृष्ठ संख्या 61 में-

- (i) कॉलम सं. 6 में "वांछनीय" के अधीन "अनुसंधान" शब्द के पहले ' (' विह्न को हटा दिया जाएगा तथा "स्नातकोत्तर" शब्द के बाद "डिग्री" शब्द को जोड़ा जाएगा ।

पृष्ठ संख्या 62 में-

- (ii) कॉलम सं. 8 की अंतिम पंक्ति में "योग्यता" शब्द को "विशेषज्ञ" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

11 अनुसंधान सूच्य - उप निदेशक (अनुसंधान) के संबंध में

195 संख्या 62

- (i) कॉलम सं. 8 में "अनिवार्य" के अधीन "संबंधित विषय" शब्दों को "आनुशंगिक विषयों" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा "इत्यादि" शब्द के बाद में शब्द को हटा कर "के साथ" शब्दों को जोड़ा जाएगा।
- (ii) कॉलम सं. 8 में "वांछनीय" को रेखांकित किया जाएगा।
- (iii) कॉलम सं. 8 में "वांछनीय" के अंतर्गत (i) की अंतिम पंक्ति में "इत्यादि" शब्द के बाद "में" शब्द को जोड़ा जाएगा।
- (iv) कॉलम सं. 8 में "वांछनीय" के अंतर्गत (ii) में "किसी मान्यता प्राप्त विद्याविद्यालय या संस्था से" शब्दों को हटा दिया जाएगा।
- (v) कॉलम सं. 8 में "वांछनीय" के अंतर्गत (iii) में "एनबीए" से पहले "किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से" शब्दों को जोड़ा जाएगा।
- (vi) कॉलम सं. 9 में अंतिम तीसरी पंक्ति में "पोस्टग्रेजुएट" शब्द को हटा कर डिग्री शब्द जोड़ा जाएगा।
- (vi) कॉलम सं. 12 में 8वीं पंक्ति में "सहायक निदेशक" शब्द को हटा कर "योजना प्रभाग के विद्यमान श्रेणी-II के अधिकारियों" शब्दों को जोड़ा जाएगा तथा अंतिम तीसरी पंक्ति में "सहायक निदेशक" शब्दों को श्रेणी-II के अधिकारी शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (vii) कॉलम सं. 13 में "सांख्यिकी अधिकारी" शब्द के बाद " / सहायक निदेशक" शब्दों को जोड़ा जाएगा तथा वरिष्ठ उप निदेशक (अनुसंधान) के शब्दों के बाद "पद पर" शब्दों को "रूप में" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

195 संख्या 63

- (vii) कॉलम सं. 8 की प्रथम पंक्ति में "रीसर्च व संबंधित विषयों" शब्दों को "रिसर्च व आनुशंगिक विषयों" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

11 वरि. उप निदेशक अनुसंधानद्व के संबंध में

195 संख्या 63

- (i) कॉलम सं. 8 में "अनिवार्य" (i) के अधीन द्वितीय पंक्ति में "विद्याविद्यालय" के बाद (i) का विहित लोका तथा तृतीय पंक्ति में "या" को हटा दिया जाएगा और चतुर्थ पंक्ति में "अर्थशास्त्र या" शब्दों के बाद " / स्टैटिस्टिक्स या" शब्दों को जोड़ा जाएगा तथा 8वीं पंक्ति में "संबंधित विषयों" शब्दों को "आनुशंगिक विषयों" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसी कॉलम में "अनुसंधान इत्यादि" शब्दों के बाद "में डिग्री" को "की डिग्री" के साथ "।" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ii) कॉलम सं. 8 में "अनिवार्य" (ii) के अधीन तृतीय पंक्ति में "कलेक्शन" को "डाटा कलेक्शन" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 8वीं पंक्ति में "व्याख्या या फिल्टर सर्वे में संचालन व-खोज" शब्दों को "व्याख्या में या फील्ड सर्वे में, अन्योपयोग करने में" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iii) कॉलम सं. 8 में "वांछनीय" (i) के अधीन "संबंधित विषय" शब्दों को "आनुशंगिक विषयों" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iv) कॉलम सं. 8 में "वांछनीय" (iii) को "(ii)" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (v) कॉलम सं. 9 में (ख) के अधीन "हा" के बाद पूर्णविराम चिह्न को हटा कर संदीर्घचिह्न चिह्न " ; " होगा तथा "यद्यपि" को "तथापि" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा "केस" को "मानले" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और "विधि" को "विधि" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (vi) कॉलम सं. 9 में (ख) की 9वीं तथा 10वीं पंक्ति में "आफिसियल रोल पर" शब्दों को "जो कार्यरत" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 12वीं पंक्ति में "विषय" को "विधा" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा "पोस्टग्रेजुएट" शब्द को हटा कर डिग्री शब्द जोड़ा जाएगा और 15वीं पंक्ति में "अवश्यक" को "अनिवार्य" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (vii) कॉलम सं. 11 में "समावेश" को "समावेशन" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (viii) कॉलम सं. 12 (i) के शीर्षक में "पुनोज्ज्वलि" शब्द को शामिल किया जाएगा तथा 8वीं पंक्ति में "पदोन्नत" के बाद अर्द्धविराम चिह्न " ; " दिया जाएगा।

- (ix) कॉलम सं. 12 (ii) की 7वीं पंक्ति में "क्षेत्र" के बाद "4" संख्या को हटा दिया जाएगा ।
- (x) कॉलम सं. 12 में "समावेश/प्रतिनियुक्ति" शब्दों को "समावेशन/प्रतिनियुक्ति" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा उसे रेखांकित किया जाएगा ।
- (xi) कॉलम सं. 12 में "समावेशन/प्रतिनियुक्ति" के अधीन अंतिम द्वितीय पंक्ति में 'उप प्रबंधक (प्रणाली)' शब्दों को 'उप निदेशक (इडीपी) शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा
- (xi) कॉलम सं. 12 में "₹10,750-16,750/-" को "₹20,600-46,500/-" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

ब. संयुक्त निदेशक के संबंध में

पृष्ठ संख्या 64-65 में—

- (i) कॉलम सं. 8 की तृतीय तथा चतुर्थ पंक्ति में "विश्वविद्यालय या संस्था" शब्दों को "विरविद्यालय/संस्था" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (ii) कॉलम सं. 8 की 10वीं पंक्ति में "संबंधित विभाग" शब्दों को "अनुरागिक विभागों के साथ" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (iii) कॉलम सं. 8 के (ii) के अंतर्गत चौथी पंक्ति में "या" के बाद "डाटा" जोड़ा जाएगा ।
- (iv) कॉलम सं. 8 में "वांछनीय" के अंतर्गत तृतीय पंक्ति में "संस्था" शब्द को "संस्थान" शब्द के द्वारा तथा "रीसर्च" शब्द को "रिसर्च" तथा "पोस्ट" शब्द को "पोस्ट" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (v) कॉलम सं. 9 की तृतीय पंक्ति में "यद्यपि" को हटा कर "तथापि उन" जोड़ा जाएगा । तथा चौथी, पांचवी और छठी पंक्तियों में "केओपीटी आफिसियल्स के कैस में" शब्दों को "केओपीटी अधिकारियों/कर्मचारियों के मामले में" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (vi) कॉलम सं. 9 में "आर एस पी अधिनियम का अधिसूचना की तिथि के अनुसार रोल पर है।" को निम्न वाक्य द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

" जो आरएसपी अधिनियम की अधिसूचना की तिथि पर कार्यरत हो,"

तथा 'पोस्टग्रेजुएट' शब्द को हटा कर 'डिग्री' शब्द जोड़ा जाएगा ।

- (vii) कॉलम सं. 9 की अंतिम पंक्ति में "ह" को "है" पढ़ा जाएगा ।
- (viii) कॉलम सं. 11 की प्रथम पंक्ति में "समावेशन" को "सामाजिक" शब्द के द्वारा तथा चौथी पंक्ति में "समावेश" को "समावेशन" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (ix) कॉलम सं. 11 में "सरकारी संगठन" शब्दों को "अन्य सरकारी संगठनों" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (x) कॉलम सं. 12 की पांचवी पंक्ति में "व. उप प्रबंधक प्रणाली" शब्दों को हटा कर 'उप निदेशक (ईडीपी)' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 8वीं पंक्ति में "वर्ष" को "3 वर्ष" शब्दों के द्वारा तथा "सेवा" शब्द को "सेवा" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा ठीक इसी पंक्ति के बाद 'वित्त विभाग' शब्दों के बाद '/अनुसंधान/ईडीपी इकाई' शब्दों को जोड़ा जाएगा ।
- (xi) कॉलम सं. 12 की 23वीं, 24वीं एवं 25वीं पंक्ति में 'का' को 'की' शब्द के द्वारा तथा 'सेवा' को 'सेवा' शब्द के द्वारा तथा 'एकीकृत' को 'एकीकृत' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (xii) कॉलम सं. 12 में "के अधिकारी पात्र होंगे ।" के बाद निम्न पैरा को जोड़ा जाएगा: -

"प्रतिनियुक्ति हेतु इस ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा के साथ सरकारी/सरकारी उपक्रम या स्वायत्त निकाय में पीएडआर प्रभाग/वित्त विभाग में ₹24,900-50,500/- के वेतनमान में अधिकारी समतुल्य पदधारक हो या वरि. उपनिदेशक (अनुसंधान)/वरि. वरि. उपनिदेशक, ईडीपीद्व और अन्य समतुल्य पदधारक पात्र होंगे ।

चयन मेरिट के आधार पर होगा जिसके लिए एपीएआर में ओवरआल ग्रेडिंग का बेंचमार्क "बहुत अच्छा" से नीचे नहीं होगा ।

- (xiii) कॉलम सं. 13 में पूरे पैरा को हटा कर केवल निम्न वाक्य को शामिल किया जाएगा: -

"निदेशक (पीएडआर) के वर्तमान पद को संयुक्त निदेशक के रूप में पुनः नामकरण किया जाएगा ।

45.

सिविल अभियन्ता विभाग के श्रेणी I के पदों हेतु नियम के अंतर्गत।

क. कार्यपालक अभियन्ता (सिविल)

पृष्ठ संख्या 66—

डीपी)

(i) कॉलम सं. 9 की द्वितीय पंक्ति में "नहीं" के बाद अथवा "चिह्न लगाया जाएगा तथा तृतीय पंक्ति में "यद्यपि" को "तथापि" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) कॉलम सं. 13 की 16वीं पंक्ति में "वरिष्ठता" को "वरीयता" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 19वीं पंक्ति में "35" को "45" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और 21वीं पंक्ति में "मान" को "मान" शब्द के द्वारा तथा 22वीं पंक्ति में "जाएंगे" को "जाएंगे" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

ख. अधीक्षक अभियन्ता (सिविल)

पृष्ठ संख्या 67—

थापित

(i) कॉलम सं. 8 की तृतीय पंक्ति में "विश्वविद्यालय" को "विश्वविद्यालय" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा कॉलम 8 (ii) में औद्योगिक के बाद (/) चिह्न तथा "व्यावसायिक" के बाद (/) चिह्न लगाया जाएगा।

(ii) कॉलम सं. 8 (ii) की 11वीं पंक्ति में "अनुसू" को "अनुसू" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 12वीं पंक्ति में "क" अक्षर को हटा दिया जाएगा।

ग. उपमुख्य अभियन्ता (सिविल) के संबंध में

पृष्ठ संख्या 67-68

किया

(i) कॉलम सं. 8(ii) की 9वीं पंक्ति में "स्ट्रक्चर" को "स्ट्रक्चर" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 12वीं पंक्ति में "डीजाइन अनुसूचक" को "डीजाइन/अनुसूचक" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) कॉलम सं. 11 में पूरे पैरा को हटा कर निम्न वाक्य के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"समावेशन सामासिक विधि के माध्यम से समावेशन द्वारा, इसके न होने पर अन्य सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न होने पर सीधी नियुक्ति द्वारा।"

पृष्ठ संख्या 68-69-70

(iii) कॉलम सं. 12 को कमरा: निम्न पैरा के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"सामासिक विधि के माध्यम से समावेशन हेतु किसी महापत्तन न्यास में इस ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा सहित रु. 24,900-50,500/- के वेतनमान में सिविल इंजीनियरिंग की संबद्ध विधा में सदृश पदधारी अधिकारी अथवा अधीक्षक अभियन्ता व समतुल्य पद का अधिकारी हो अथवा किसी महापत्तन न्यास के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में रु.20,600-46,500/- व रु. 24,900-46,500/- के वेतनमान में इस ग्रेड में 2 वर्षों की नियमित सेवा व 7 वर्षों की एकीकृत नियमित सेवा सहित संबद्ध विधाओं में अधीक्षक अभियन्ता व समतुल्य पदधारी पात्र होंगे।"

"प्रतिनियुक्ति हेतु सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र/स्वायत्त निकाय में इस ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा सहित रु.24,900-50,500/- के वेतनमान में सिविल अभियन्ता विभाग की संबद्ध विधाओं में अधिकारी, अधीक्षक अभियन्ता के पद पर हो या उसके समतुल्य पद पर हो, पात्र होंगे।"

घटन गुणागुण के आधार पर होगा जिसमें समय ग्रेडिंग का शेषमार्क एपीएआर में "बहुत अच्छा" से कम नहीं होगा।

पृष्ठ संख्या 68

(i) कॉलम सं. 13 को निम्न वाक्य के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"उप सीई (सिविल) के वर्तमान पद को उप मुख्य अभियन्ता (सिविल) के रूप में पुनः पदनामित किया जाएगा।"

घ. मुख्य अभियन्ता (सिविल) के संबंध में

पृष्ठ संख्या 70—

(i) कॉलम सं. 11 की द्वितीय पंक्ति में "समावेशन" को रेखांकित किया जाएगा।

- (ii) कॉलम सं. 12 की 15वीं पंक्ति में "अथवा" के बाद "किसी" शब्द को जोड़ा जाएगा ।

पृष्ठ संख्या 71-

- (iii) कॉलम सं. 12 की प्रथम पंक्ति में "अथवा" के बाद "किसी" शब्द को जोड़ा जाएगा । उसी कॉलम में "योग्यता" को "गुणागुण" द्वारा तथा "होगी" को "होगा" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

46. सिविल अभियंत्रण विभाग (पर्यावरण स्तंभ) हेतु नियुक्ति नियम के अंतर्गत ।

क. प्रबंधक (पर्यावरण) के संबंध में

पृष्ठ संख्या 72-

- (i) कॉलम सं. 8 की प्रथम पंक्ति में "अनिवार्य" के बाद कोलन (:) चिह्न लगाया जाएगा तथा इसे रेखांकित किया जाएगा ।
- (ii) कॉलम सं. 11 के अंतिम पंक्ति में "द्वारा" के बाद पूर्ण विराम चिह्न '।' लगाया जाएगा ।
- (iii) कॉलम सं. 12 की प्रथम तथा द्वितीय पंक्ति में "सामासिक" और "समावेशन" शब्दों को रेखांकित किया जाएगा ।
- (iv) कॉलम सं. 12 की चौथी तथा 14वीं पंक्ति में "अथवा" के बाद "किसी" शब्द को जोड़ा जाएगा । उसी कॉलम की 8वीं पंक्ति में "सुपरिटेन्डिंग" को "सुपरिन्टेन्डिंग" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (v) कॉलम सं. 12 की 12वीं पंक्ति में "3 वर्षों के" शब्दों को "3 वर्षों की" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा । उसी कॉलम की 16वीं पंक्ति में "विभाग के" शब्दों को "विभाग की" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (vi) उसी कॉलम में "2 वर्षों का" शब्दों को "2 वर्षों की" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा "महापत्तन न्यास" शब्द के पहले किसी शब्द को जोड़ा जाएगा ।
- (vii) कॉलम सं. 12 की 23वीं पंक्ति में "की" को "के" पढ़ा जाएगा ।

पृष्ठ संख्या 73-

- (ix) कॉलम सं. 12 की 9वीं पंक्ति में "विभाग के" शब्दों को "विभाग की" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (x) कॉलम सं. 12 की 11वीं पंक्ति में "सुपरिटेन्डिंग" को "सुपरिन्टेन्डिंग" शब्द के द्वारा तथा उसी कॉलम में "चयन" के बाद "योग्यता" शब्द को "गुणागुण" शब्द के द्वारा तथा "एसीआर" को "एपीएआर" शब्द के द्वारा तथा "होगी" को "होगा" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा पढ़ा जाएगा ।

47. चिकित्सा विभाग के श्रेणी-I के पदों हेतु नियुक्ति नियम के अंतर्गत ।

क. मेट्रॉन के संबंध में

पृष्ठ संख्या 74-

- (i) कॉलम सं. 8 की तृतीय पंक्ति में "नर्सिंग काउन्सिल" को "नर्सिंग काउन्सिल" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (ii) कॉलम सं. 8 के (ii) में "फस्ट ग्रेड" शब्दों को "प्रथम ग्रेड" शब्दों के द्वारा तथा "हॉस्पिटल" को "हॉस्पिटल" और "होगी" को "होगे" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (iii) कॉलम सं. 8 में "वांछनीय" को रेखांकित किया जाएगा ।
- (iv) कॉलम सं. 11 में "पदोन्नति" शब्द के बाद जिसके न होने पर स्थानान्तरण, प्रतिनियुक्ति/सीधी नियुक्ति द्वारा पद को जोड़ा जाएगा ।

ख. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के संबंध में

पृष्ठ संख्या 74-

- (i) कॉलम सं. 8 की प्रथम पंक्ति में "अनिवार्य" तथा कॉलम सं. 8 के (ii) में छठीं पंक्ति में "वांछनीय" शब्दों को रेखांकित किया जाएगा ।
- (ii) कॉलम सं. 8 की द्वितीय पंक्ति एवं सं. (ii) में 7वीं पंक्ति में किसी-किसी शब्द दो बार आए हैं एक "किसी" को हटा दिया जाएगा ।
- (iii) कॉलम सं. 8 की अंतिम पंक्ति में "स्नातकोत्तर डिग्री" को "स्नातकोत्तर डिग्री" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

14. उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी (जेनरल इयुटी) के संबंध में

75 सख्या 75-

- (i) कॉलम सं. 8 की प्रथम पंक्ति में "अनिवार्य" तथा कॉलम सं. 8 (ii) की छठी पंक्ति में "वाछनीय" शब्दों को रेखांकित किया जाएगा।
- (ii) कॉलम सं. 8 की तृतीय पंक्ति में "किसी-किसी" शब्द दो बार है, एक "किसी" शब्द को हटा दिया जाएगा। इसी कॉलम की सं. (ii) की प्रथम पंक्ति में "वर्ष" के को "वर्षों" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iii) कॉलम सं. 12 में "पट धारी" को "पटधारी" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा "अथवा" के बाद "किसी" शब्द को जोड़ा जाएगा।

15. उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ) (मेडिसिन, सर्जरी गायनेकोलाजी व ऑब्स्टेट्रिक्स, पॅडियाट्रिक और ओर्थोपेडिक्स में से कम से कम एक में) के अंतर्गत

76 सख्या 75-76

- (i) कॉलम सं. 8 में "अनिवार्य" शब्द को हटा दिया जाएगा।
- (ii) कॉलम सं. 8 (ii) में "किसी-किसी" शब्दों में से एक "किसी" शब्द को हटा दिया जाएगा।
- (iii) कॉलम सं. 8 (ii) में "स्नातकोत्तर" को "स्नातकोत्तर" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iv) कॉलम सं. 8 (ii) की चौथी पंक्ति में "किसी" के बाद "मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से" शब्दों को जोड़ा जाएगा।
- (v) कॉलम सं. 8 (iii) के पैरा में केवल सं. (iii) को हटा दिया जाएगा।
- (vi) कॉलम सं. "8 (iv)" को "8 (iii)" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (vii) संशोधित कॉलम सं. 8 (iii) के तृतीय पंक्ति में "किसी" शब्दों के बाद "ख्याति प्राप्त" शब्दों को जोड़ा जाएगा तथा पुरुष पंक्ति में "विशेषज्ञ" को "विशेषज्ञता के" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और पाँचवी पंक्ति में "9 वर्ष" शब्दों को "7 वर्ष" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (viii) संशोधित कॉलम सं. 8(iii) की 12वीं पंक्ति में "11 वर्षों" शब्दों को "9 वर्षों" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

16. वरि. उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ) के संबंध में

- (i) कॉलम सं. 2 में पदनाम "वरि. उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी" के बाद "(विशेषज्ञ)" शब्द को जोड़ा जाएगा।
- (ii) कॉलम सं. 11 की द्वितीय पंक्ति में "समावेशन" शब्द को रेखांकित किया जाएगा।
- (iii) कॉलम सं. 12 की बारहवीं पंक्ति में "3 वर्षों के को" "3 वर्षों की" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

77 सख्या 77-

- (iii) कॉलम सं. 8 की द्वितीय पंक्ति में "हॉस्पिटल" को "हॉस्पिटल" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iv) कॉलम सं. 12 की प्रथम तथा 22वीं पंक्तियों में "समस्तु" के बाद "विशेषज्ञ" शब्द को जोड़ा जाएगा।
- (v) कॉलम सं. 12 की 8वीं तथा 31वीं पंक्तियों में "की" को "के" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (vi) कॉलम सं. 12 की 29वीं पंक्ति में "योग्यता" को "गुणागुण" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 30वीं पंक्ति में "होगी" को "होगा" पढ़ा जाएगा।

17. मुख्य चिकित्सा अधिकारी के संबंध में

78 सख्या 77-

- (i) कॉलम सं. 12 की द्वितीय पंक्ति में "समावेशन" शब्दों को रेखांकित किया जाएगा।
- (ii) कॉलम सं. 12 की पुरुष पंक्ति में "सर्व" को "श्रेणी" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

पृष्ठ संख्या 78-

- (iii) कॉलम सं. 12 की 5वीं पंक्ति में "ग्रेड में" के बाद "4 वर्षों" को "2 वर्षों" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 (iv) कॉलम सं. 12 की 16वीं पंक्ति में "अधिकारी" के बाद "सरकारी/" शब्दों को हटा दिया जाएगा।
 (v) कॉलम सं. 12 की 24वीं पंक्ति में "सरकारी" के बाद "(/)" चिह्न लगाया जाएगा।
 (vi) कॉलम सं. 12 की 33वीं तथा 39वीं पंक्ति में "की" को "के" शब्द के द्वारा तथा इसी कॉलम की 37वीं पंक्ति में "योयता" को "युगपुग" शब्द के द्वारा तथा 36वीं पंक्ति में "होगी" को "होगा" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

48. सतर्कता विभाग के श्रेणी-I पदों हेतु नियुक्ति नियम के अंतर्गत।पृष्ठ संख्या 79-

क. सहायक सतर्कता अधिकारी ग्रेड -I के संबंध में

- (i) कॉलम सं. 12 की 14वीं पंक्ति में "की" को "का" शब्द के द्वारा तथा 16वीं पंक्ति में "जाएगा" को "जाएगी" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 (ii) कॉलम सं. 13 की अंतिम पंक्ति में "नहीं" के बाद "होगी" शब्द को जोड़ा जाएगा।
 ख. उप मुख्य सतर्कता अधिकारी के संबंध में
 (i) कॉलम सं. 12 में "येतनमान रु. 24,800-50,500/-" शब्दों के बाद "की" को "के" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 पृष्ठ संख्या 80-

- (ii) कॉलम सं. 12 की 17वीं पंक्ति में "कार्यों" के बाद "की" को "का" शब्द के द्वारा तथा 20वीं पंक्ति में "योयता" को "युगपुग" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

ग. मुख्य सतर्कता अधिकारी के संबंध में

पृष्ठ संख्या 80-

- (i) कॉलम सं. 10 में लागू नहीं शब्द के बाद तथा अंतिम पंक्ति में "द्वारा" शब्द के बाद पूर्णविराम चिह्न '।' दिया जाएगा।
 (ii) कॉलम सं. 11 में "सर्वकारीय केन्द्रीय" शब्दों को "सर्वकारीय/केन्द्रीय" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 (iii) कॉलम सं. 13 में "5 वर्ष" को "5 वर्षों" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा अंतिम पंक्ति में "नहीं" के बाद "होगी" शब्द को जोड़ा जाएगा।

49. हाइड्रोलिक अध्ययन विभाग के श्रेणी-I के पदों हेतु नियुक्ति नियम के अंतर्गत।पृष्ठ संख्या 81-

क. वरिष्ठज्ञानिक उच्चिकारी/कार्यपालक अभियंता/सहायक हाइड्रोलिक अभियंता/ इलेक्ट्रॉनिक इन्स्ट्रुमेंटेशन इंजीनियर के संबंध में

- (i) कॉलम सं. 2 की 7वीं पंक्ति में "हाइड्रोलिक" को "हाइड्रॉलिक" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 (ii) कॉलम सं. 8 की प्रथम पंक्ति में "अनिवार्य" के बाद कोलन (:) चिह्न दिया जाएगा तथा उसे रेखांकित किया जाएगा।
 (iii) कॉलम सं. 8 की 8वीं पंक्ति में "कंप्यूटर साइंस" शब्दों को "कंप्यूटर साइंस" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 (iv) कॉलम सं. 8 की 19वीं पंक्ति में "इंजीनियरिंग" के बाद "एंड" को "एंड" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 21वीं पंक्ति में "विषयों" को "अन्य किसी विषय" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और 22वीं पंक्ति में "ग्रैजुएट डिग्री" शब्दों के बाद पूर्णविराम चिह्न '।' दिया जाएगा। उसी कॉलम में "वांछनीय" के बाद कोलन (:) चिह्न दिया जाएगा।

पृष्ठ संख्या 82-

- (v) कॉलम सं. 8 की 6वीं पंक्ति में "2 वर्ष" को "2 वर्षों" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 (vi) कॉलम सं. 8 की 19वीं पंक्ति में "साइंस" को "साइंस" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(vii) कॉलम सं. 8 की 26वीं पंक्ति में "इजीनियरिंग" के बाद "में" शब्द को जोड़ा जाएगा।

8. उप निर्देशक के संबंध में

1954 संख्या 82-

(i) कॉलम सं. 8 की प्रथम पंक्ति में "अनिवार्य" शब्द को रेखांकित किया जाएगा तथा उसके बाद कॉलम (:) विहिन दिया जाएगा।

1954 संख्या 83

(ii) कॉलम सं. 8 की प्रथम पंक्ति में "(/)" विहिन हटा दिया जाएगा।

(iii) कॉलम सं. 8 की 12वीं पंक्ति में "एड" को "एड" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 14वीं पंक्ति में "विशयों" को "अन्य किसी संबंधित विषय" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iv) कॉलम सं. 8 में "वांछनीय" के बाद कॉलम (:) विहिन दिया जाएगा।

(v) कॉलम सं. 8 की 20वीं पंक्ति में "उपक्रमों" को "उपक्रम" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(vi) कॉलम सं. 8 की 32वीं पंक्ति में "आईटी" के बाद "मेथेडिकल साइंसेज" शब्दों को जोड़ा जाएगा तथा 33वीं पंक्ति में "हाइड्रोमैकेनिक्स" के बाद "सोशल मैकेनिक्स" शब्दों को "सोशल मैकेनिक्स" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

9. उपमुख्य हाइड्रॉलिक अभियंता के संबंध में

1954 संख्या 84-85

(i) कॉलम सं. 8 की प्रथम पंक्ति में "अनिवार्य" तथा 22वीं पंक्ति में "वांछनीय" शब्दों को रेखांकित किया जाएगा तथा उनके बाद कॉलम (:) विहिन दिया जाएगा। तीसरी पंक्ति में "इजीनियरिंग" के बाद "में" जोड़ा जाएगा।

(ii) कॉलम सं. 8 की छठी पंक्ति में "प्रौद्योगिकी" के बाद "(/)" विहिन को हटा दिया जाएगा।

(iii) कॉलम सं. 8 की 18वीं पंक्ति में "एड" को "एड" शब्द के द्वारा तथा 20वीं पंक्ति में "विशयों" को "अन्य किसी विषय" शब्दों के द्वारा तथा 26वीं पंक्ति में "उपक्रमों" को "उपक्रम" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iv) कॉलम सं. 12 की 5वीं पंक्ति में "पद" को "पदधारी" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और छठी पंक्ति में "महापत्तन" से पहले "किसी" शब्द को जोड़ा जाएगा।

(vii) कॉलम सं. 8 की 9वीं पंक्ति में "आई टी" के बाद "मेथेडिकल साइंसेज" शब्दों को जोड़ा जाए तथा 10वीं पंक्ति में "हाइड्रोमैकेनिक्स" के बाद "सोशल मैकेनिक्स" शब्दों को "सोशल मैकेनिक्स" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(viii) कॉलम सं. 8 की 19वीं पंक्ति में "इजीनियरिंग" के बाद "में" शब्द को जोड़ा जाएगा तथा इसी कॉलम की अंतिम पंचम पंक्ति में "हाइड्रॉलिक" को "हाइड्रॉलिक" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ix) कॉलम सं. 12 की प्रथम पंक्ति में "सरकारी लोक उपक्रम" शब्दों को "सरकारी/लोक उपक्रम" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा उसी कॉलम में "चयन" के बाद "योग्यता" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा "दोषी" को "दोषी" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(x) कॉलम सं. 12 की 14वीं पंक्ति में "एपीएआर की" को "एपीएआर के" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(xi) कॉलम सं. 13 की 5वीं पंक्ति में "वेतनमान रु.14,500-18,700/-" को "रु.29,100-54,600/-" शब्दों के द्वारा तथा इसी कॉलम की अंतिम पंचम पंक्ति में "वेतनमान रु.16,000-20,800/-" को "रु.32,900-69,000/-" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

1954 संख्या 86-88

10. मुख्य हाइड्रॉलिक अभियंता के संबंध में

(i) कॉलम सं. 8 की प्रथम पंक्ति में "अनिवार्य" शब्द को रेखांकित किया जाएगा तथा उसके बाद कॉलम (:) विहिन लगाया जाएगा।

(ii) कॉलम सं. 8 की 6वीं पंक्ति में "प्रौद्योगिकी" के बाद "(/)" विहिन हटा दिया जाएगा।

(iii) कॉलम सं. 12 की चौथी पंक्ति में "सर्वग" को "श्रेणी" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

- (iv) कॉलम सं. 8 की 8वीं पंक्ति में 'विषयों' को 'अथ किसी विषय' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। उसी कॉलम में 'वांछनीय' शब्द को रेखांकित किया जाएगा तथा उसके बाद कॉलम (:) विहिन लगाया जाएगा।
- (v) कॉलम सं. 8 के 20वीं पंक्ति में 'उपक्रमों' को 'उपक्रम' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 29वीं पंक्ति में 'सोशल मेकानिक्स' शब्दों को 'सॉशल मेकानिक्स' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 31वीं पंक्ति में 'भैनेमेटिकल साइंस' को 'भैनेमेटिकल साइंसेज' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और 38वीं पंक्ति में 'फिजिक्स' के बाद () विहिन हटा दिया जाएगा।
- (vi) कॉलम सं. 12 की दसवीं पंक्ति में 'पान्न हॉग' के बाद पूर्व विराम चिह्न '।' दिया जाएगा। उसी कॉलम में 'म्यन' के बाद 'योग्यता' को 'गुणागुण' शब्द के द्वारा और 'होगी' को 'होगा' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (vii) कॉलम सं. 12 में 'एपीएआर की' शब्दों को 'एपीएआर के' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (viii) कॉलम सं. 8 की प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पंक्तियों को निम्न वाक्य के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा—
"शोध कार्य या छात्रवीन का मूल प्रकारान 1"
- (ix) कॉलम सं. 8 में 'रिपोर्ट सेंसिंग को' शब्दों को 'रिपोर्ट सेंसिंग के' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

80. समुदाय विभाग के श्रेणी 1 पदों हेतु नियुक्ति नियम के अंतर्गत।

पृष्ठ संख्या 87

- (i) उक्त शीर्षक में "श्रेणी-1" शब्दों को "श्रेणी-1" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
1. उप निर्देशक—II के संबंध में
- (i) कॉलम सं. 8 की 8वीं पंक्ति में 'या' को हटा दिया जाएगा।
- (ii) कॉलम सं. 8 (ii) के द्वितीय पंक्ति में 'के' को 'की' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। उसी कॉलम की चौथी पंक्ति में 'अनुभव' के बाद अर्धविराम होगा तथा 'है।' शब्दों को हटा दिया जाएगा।
- (iii) कॉलम सं. 12 की प्रथम पंक्ति में 'पदोन्नति' को रेखांकित किया जाएगा।
- (iv) कॉलम सं. 12 की चौथी पंक्ति में 'क. अतिरिक्त' शब्दों को 'को छोड़कर' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (v) कॉलम सं. 12 की 8वीं पंक्ति से शब्द 'कमाण्डर' हटा दिया जाएगा।
- (vi) कॉलम सं. 12 की 9वीं पंक्ति में शब्द 'अथवा' के बाद 'डीएण्डही सेवा के कमाण्डर से अथवा' शब्दों को शामिल किया जाएगा।
- (vii) कॉलम सं. 12 की 12वीं पंक्ति में शब्द 'से' के बाद शब्द 'प्रथम' शामिल किया जाएगा।
- (viii) कॉलम सं. 12 की 13वीं पंक्ति में शब्द 'अभियंता' के स्थान पर शब्द 'अभियंता से' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ix) कॉलम सं. 12 की 15वीं पंक्ति में शब्द 'सेवा में' के स्थान पर शब्द 'सेवाधारी' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसके अलावा, इसी पंक्ति में शब्द 'हों' के बाद अर्धविराम चिह्न (,) लगाया जाए।

पृष्ठ संख्या 88

- (x) कॉलम सं. 9 में 'नाटिकल साइंस' को 'नाटिकल साइंस' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. उप निर्देशक—1 समुदाय विभाग के संबंध में

पृष्ठ संख्या 89-

- (i) कॉलम सं. 8 (i) को निम्न वाक्य के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा—

(i) एम्बोएस द्वारा जारी किया गया मास्टर (एफजी)/देज मास्टर प्रैट-1 का सक्षमता प्रमाण-पत्र अथवा सम्बन्ध अथवा प्रथम श्रेणी में एम्बोटी।

उनीय'

सोशल
में को
एगा ।
प्रयत्न'

(ii) कॉलम सं. 8 (ii) की द्वितीय पंक्ति में 'के' को 'की' शब्द के द्वारा तथा 'भरीन' को 'भरीन' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और 8वीं और 9वीं पंक्ति में 'के रूप' शब्दों को हटा दिया जाएगा ।

पृष्ठ संख्या 89-

3. निदेशक समुदाय विभाग के संबंध में

- (i) कॉलम सं. 8 (ii) की द्वितीय पंक्ति में 'के' को 'की' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 8वीं और 9वीं पंक्ति में 'के रूप' शब्दों को हटाकर 'पर' शब्द को जोड़ा जाएगा ।
- (ii) कॉलम सं. 11 की चौथी पंक्ति में 'समावेश' को 'समावेशन' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (iii) कॉलम सं. 12 की द्वितीय पंक्ति में 'समावेशन हेतु' शब्दों के बाद कोलन डेरा (:-) विह्वल लगाया जाएगा ।
- (iv) कॉलम सं. 12 की 10वीं पंक्ति में 'इंजीनियरिंग सुपरिटेण्डेंट' शब्दों को 'इंजीनियर सुपरिटेण्डेंट' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (v) कॉलम सं. 12 की अंतिम 5वीं पंक्ति में नीचे के पद पर शब्दों के बाद किसी महापत्तन में शब्दों को शामिल किया जाएगा ।
- (vi) कॉलम सं. 12 की 23वीं पंक्ति में 'सेक्सों को जोड़कर' शब्दों के बाद पूर्णविराम विह्वल '।' लगाया जाएगा ।
- (vii) कॉलम सं. 12 की 24वीं पंक्ति में 'प्रतिनियुक्ति' के बाद 'हेतु' जोड़ा जाएगा और प्रतिनियुक्ति को रेखांकित किया जाएगा तथा अर्धविराम विह्वल लगाया जाएगा ।

पृष्ठ संख्या 90-

- (vii) कॉलम सं. 12 की द्वितीय पंक्ति में 'फिर' शब्द को हटा दिया जाएगा ।
- (viii) कॉलम सं. 12 की तृतीय पंक्ति में डीएनडी-1 के बाद (/) विह्वल दिया जाएगा तथा 'के सम्बन्ध' शब्दों को हटा दिया जाएगा ।
- (ix) कॉलम सं. 12 की 10वीं पंक्ति में 'हाइड्रोग्राफर के' शब्दों के बाद 'सम्बन्ध या उससे उपर' शब्दों को जोड़ा जाएगा ।
- (x) कॉलम सं. 12 की अंतिम 8वीं पंक्ति में सार्वजनिक उपक्रम शब्द के बाद 'स्वयत्न निकायों' शब्द को जोड़ा जाएगा ।

इंटर मास्टर (पोस्ट) / हार्बर मास्टर (नदी) का अनुभाग]

4. सेक्रेट ऑफिसर पाइलट जलयान के संबंध में

पृष्ठ सं. 90 कॉलम सं. 8 की अंतिम पंक्ति में 'जाए' को 'जाएगी' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

5. प्रशिक्षु पायलट/प्रशिक्षु समुद्री अधिकारी के संबंध में

पृष्ठ संख्या 90-91

- (i) पृष्ठ सं. 91 के कॉलम सं. 5 में 'रु.16,400-20,600/-, 24,900-32,900/-' का के पश्चात 'स्टाइलेन्ड' शब्द को शामिल किया जाएगा तथा 'होगा' शब्द को 'होगी' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (ii) कॉलम सं. 8 की 8वीं तथा 12वीं पंक्तियों में 'डिग्री' को 'दरेज' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (iii) कॉलम सं. 8 की 17वीं पंक्ति में '50' को '50:' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (iv) कॉलम सं. 8 की 18वीं, 21वीं तथा 28वीं पंक्तियों में 'भौतिकी' को 'भौतिक विज्ञान' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (v) कॉलम सं. 7 के प्रथम, द्वितीय, 8वीं, 9वीं पंक्तियों में 'साइंस गेजुएट' शब्दों को 'साइंस गेजुएट' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
6. पायलट के संबंध में

पृष्ठ संख्या 92-93

- (i) पृष्ठ सं. 93 के कॉलम सं. 8 के 5वीं पंक्ति में '50' को '50:' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

- (ii) पृष्ठ सं. 83 के कॉलम सं. 8(ii) में "पायलट में के बाद विशिष्टता" शब्दों को हटा दिया जाएगा तथा "के रूप में योग्यता प्राप्त" शब्दों को जोड़ा जाएगा।

7. सहायक मूरिंग मास्टर के संबंध में

पृष्ठ संख्या 83

- (i) कॉलम सं.12 की पांचवीं पंक्ति में "के" को "की" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 8वीं पंक्ति में "प्रतिनियुक्ति द्वारा" शब्दों के बाद अर्द्धविराम (,) चिह्न लगाया जाएगा।

8. मूरिंग मास्टर के संबंध में

पृष्ठ संख्या 84

- (i) कॉलम सं.2 में "मूरिंग मास्टर" पदनाम को "मूरिंग मास्टर" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(ii) कॉलम सं.8 में "अनिवार्य" के पश्चात् सं. (i) को पिरा के पूर्व जोड़ा जाएगा।
(iii) कॉलम सं.9 की 14वीं पंक्ति में "टीएस उफरिन शब्दों को "टीएस डफरीन" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(iv) कॉलम सं.12 की चौथी तथा पांचवीं पंक्ति में "3 वर्ष के" शब्दों को "तीन वर्षों की" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(v) कॉलम सं.12 की आठवीं पंक्ति में "रखना" को "रखता" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा इसी कॉलम की 13वीं पंक्ति में "समावेश" को "समावेशन" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

9. कमाण्डर पायलट जलयान के संबंध में

पृष्ठ संख्या 85

- (i) कॉलम सं. 11 की छठी पंक्ति में "प्रतिनियुक्ति" के बाद "द्वारा" शब्द को जोड़ा जाएगा।

10. गोदी मास्टर के संबंध में

पृष्ठ संख्या 95

- (i) कॉलम सं. 11 की चौथी पंक्ति में "समावेश" को "समावेशन" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(ii) कॉलम सं. 12 की चौथी पंक्ति में "ग्रेड" को "ग्रेड" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(iii) कॉलम सं. 9 में "टीएस" को "टीएस" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

पृष्ठ संख्या 96

- (iv) कॉलम सं. 9 की 15वीं पंक्ति में "पास" को "पात्र" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
11. उप हार्बर मास्टर (पत्तन) / (नदी) के संबंध में
(i) उपर्युक्त शीर्षक में "पत्तन" और "नदी" को "(पत्तन) / (नदी)" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(ii) कॉलम सं. 9 में "टीएस राजेन्द्रा" शब्दों के बाद "टीएस चाणक्य" शब्दों को जोड़ा जाएगा।
(iii) कॉलम सं. 11 की तृतीय पंक्ति में "समावेश" को "समावेशन" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा इसे रेखांकित किया जाएगा।
(iv) कॉलम सं. 12 की द्वितीय पंक्ति में "समावेश हेतु" शब्दों के बाद चिह्न ":-" लगाया जाएगा।
(v) कॉलम सं. 12 की पांचवी तथा छठी पंक्तियों में "डॉक मास्टर और समतुल्य पद जो" शब्दों को हटा दिया जाएगा।
(vi) कॉलम सं. 12 की 8वीं तथा 8वीं पंक्ति में "कमाण्डर जलयान" शब्दों के बाद "के रूप में" शब्दों को हटा कर "तथा समतुल्य पद पर" शब्दों को जोड़ा जाएगा।

पृष्ठ संख्या 97

- (iv) कॉलम सं. 9 की छठी पंक्ति में "पात्रहोगा" को "पात्र होगा" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

पर" शब्दों

(v) कॉलम सं. 12 की छठी पंक्ति में "भूरिंग" से पहले 'ओ' अक्षर को हटा कर "और" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

12. हार्वर मास्टर (पोर्ट/नदी) के संबंध में

पृष्ठ संख्या 87

- (i) कॉलम सं. 2 में "हार्वर मास्टर (पोर्ट/नदी)" को "हार्वर मास्टर (पोर्ट)/(नदी)" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ii) कॉलम सं. 9 में "टीएस राजेन्दा" के बाद "टीएस बाणराध" शब्दों को जोड़ा जाएगा।
- (iii) कॉलम सं. 12 की द्वितीय पंक्ति में "समावेशन हेतु" शब्दों के बाद "कोलन डैस (-)" चिह्न दिया जाएगा।
- (iii) कॉलम सं. 12 की चौथी पंक्ति में "अथवा" के बाद "किसी" शब्द को जोड़ा जाएगा तथा पांचवीं और छठी पंक्ति में "उप हार्वर मास्टर शब्दों के बाद "(/)" चिह्न हटा दिया जाएगा तथा "(पोर्ट)/(नदी)" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

पृष्ठ संख्या 88

(iv) कॉलम सं. 9 की 8वीं पंक्ति में "पात्रहोगा" को "पात्र होगा" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

डेजर व डीसपेच सेवा का अनुभाग के अंतर्गत

(i) उपर्युक्त शीर्षक में "डीसपेच" को "डिसपेच" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

13. लाइटिंग ऑफिसर के संबंध में

- (i) कॉलम सं. 8 की अंतिम पंक्ति में शब्द "अप्रेंटिसशिप" को "अप्रेंटिसशिप" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ii) कॉलम सं. 11 की द्वितीय तथा 7वीं पंक्ति में "द्वारा" के बाद "अधिराम चिह्न (.)" लगाया जाएगा।
- (iii) कॉलम सं. 11 की 5वीं पंक्ति में "समावेश" को "समावेशन" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iv) कॉलम सं. 12 की द्वितीय पंक्ति में "अधिकारी" के बाद "के" शब्द को जोड़ा जाएगा।
- (v) कॉलम सं. 12 की तृतीय पंक्ति में "जो" को "जिसमें" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और पांचवीं पंक्ति में "सहित" को "की" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

14. सेक्रेट ऑफिसर के संबंध में

(i) कॉलम सं. 8(i) में "जुनियर डेक ऑफिसर" शब्दों के बाद "अथवा समुदागीणी पोत में डेरिन अप्रेंटिसशिप के रूप में 3 वर्षों का अनुभव" वाक्य को जोड़ा जाएगा।

(ii) कॉलम सं. 12 की तीसरी पंक्ति में "टीएसओज" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

पृष्ठ संख्या 89

15. जुनियर चीफ ऑफिसर के संबंध में

- (i) उपर्युक्त शीर्षक में "जुनियर" को "जुनियर" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ii) कॉलम सं. 12 की द्वितीय पंक्ति में "पदोन्नति" को रेखांकित किया जाएगा।
- (iii) कॉलम सं. 12 की 9वीं पंक्ति में "5 वर्षों का" को "5 वर्षों की" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

16. चीफ ऑफिसर के संबंध में

- (i) कॉलम सं. 8 की द्वितीय पंक्ति में "के" को "की" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ii) कॉलम सं. 12 की द्वितीय पंक्ति में "पदोन्नति" को रेखांकित किया जाएगा।
- (iii) कॉलम सं. 12 की चौथी पंक्ति में "ग्रेड-II" के बाद "(/)" चिह्न दिया जाएगा तथा छठी और सातवीं पंक्ति में "दर्रेज इंटर ग्रेड-II" को "दर्रेज इंटर ग्रेड-I" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iv) कॉलम सं. 12 की 15वीं पंक्ति में "के" को "की" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

पंक्ति में

एगा।

पर"

- (v) कॉलम सं. 12 में जहां-जहां "मेटसे" है "मेटस" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
17. कमाण्डर/कोमोडोर (परिष्कृत कमाण्डर कोमोडोर पदधारित होगा।)
- (i) कॉलम सं. 2 में "कमाण्डर/कोमोडोर" शब्दों के पश्चात बन्ध कोष्ठक चिह्न (') हटा दिया जाएगा।
- (ii) कॉलम सं. 2 की चौथी पंक्ति में "कमाण्डर" के पश्चात "को" शब्द को जोड़ा जाएगा तथा पांचवी पंक्ति में "कोमोडोर" के बाद "के" रूप में शब्दों को जोड़ा जाएगा और छठी पंक्ति में "पदधारित" को "पदनामित" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iii) कॉलम सं. 11 की 7वीं पंक्ति में "त" अक्षर को हटा दिया जाएगा।

पृष्ठ संख्या 100

- (iv) कॉलम सं. 12 की 5वीं पंक्ति में "किया हो" शब्द को "की हो" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा छठी पंक्ति में "कमाण्डर" के बाद प्रशिक्षण पर "को" "(आन ट्रेनिंग)" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (v) कॉलम सं. 12 की 7वीं पंक्ति में "पदोन्नति" को "पदोन्नत" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (vi) कॉलम सं. 12 की 9वीं पंक्ति में "नोट" के बाद कोलन (:) चिह्न शामिल किया जाएगा।
- (vii) कॉलम सं. 12 की 17वीं पंक्ति में "सर्टीफिकेट" के बाद "प्राप्त हो" शब्दों को जोड़ा जाएगा तथा "से" शब्द को हटा दिया जाएगा।
- (viii) कॉलम सं. 12 की 23वीं पंक्ति के बाद निम्नलिखित पैरा को जोड़ा जाएगा :-
"कोलकाता पत्तन न्यास की ड्रेजर व डिस्पैच सेवा में अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु परियोजना में उनके लिए निर्धारित आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने और आवश्यक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के पश्चात वे स्वतंत्र कमाण्ड ग्रहण करने के योग्य होंगे। हाइड्रोग्राफिक सेवा में कार्यरत कमाण्डर डीएण्डडी सेवा के कमाण्डर के पद हेतु भी पात्र होंगे।"

पृष्ठ संख्या 101

18. उप अधीक्षक डीएण्डडी सेवा के संबंध में

- (i) कॉलम सं. 8 की सं. (ii) में पैरा के पूर्व "बड़े" के पहले "किसी" शब्द को शामिल किया जाएगा।
- (ii) कॉलम सं. 8 की 11वीं पंक्ति में "वर्षों" के स्थान पर शब्द "वर्षों" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iii) कॉलम सं. 12 की द्वितीय पंक्ति में शब्द "पदोन्नति" को रेखांकित किया जाएगा तथा इसी पंक्ति के शब्द "द्वारा" के बाद अर्ध विराम चिह्न (,) शामिल किया जाएगा।
- (iv) कॉलम सं. 12 की 6वीं पंक्ति में अक्षर "व" के स्थान पर अक्षर "न" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

पृष्ठ संख्या 101

19. अधीक्षक डीएण्डडी सेवा के संबंध में

- (i) कॉलम सं. 8 के पैरा सं. 2 के पैरा के पहले "किसी" शब्द को शामिल किया जाएगा। तथा इसी कॉलम की अंतिम पंक्ति में "वर्षों" शब्द को "वर्षों" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ii) कॉलम सं. 8 की 9वीं पंक्ति में शब्द "बड़े" के पहले शब्द "किसी" शामिल किया जाएगा।
- (iii) कॉलम सं. 8 की 11वीं पंक्ति में शब्द "वर्षों" के स्थान पर शब्द "वर्षों" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iv) कॉलम सं. 12 की द्वितीय पंक्ति में शब्द "के लिए" शब्दों के बाद अर्धविराम चिह्न :- (,) शामिल किया जाएगा।
- (v) कॉलम सं. 12 की 6वीं पंक्ति में शब्द "पद" के स्थान पर शब्द "धारित" शामिल किया जाएगा।
- (vi) कॉलम सं. 12 की 9वीं पंक्ति में शब्द "के" के स्थान पर शब्द "की" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए।
- (vii) कॉलम सं. 12 की 9वीं पंक्ति में शब्द "पद" के स्थान पर शब्द "पदधारित जो" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसी पंक्ति में, शब्द "वैतनमान" को हटा दिया जाएगा और 16वीं पंक्ति के शब्द "ग्रेड" के स्थान पर शब्द "वैतनमान" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए। इसी पंक्ति में, शब्द "महापतन" को शब्द "महापत्तन" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

- (viii) कॉलम सं. 12 की 20वीं पंक्ति में शब्द "बर्षों" के स्थान पर शब्द "वर्षों" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसी कॉलम की अंतिम तृतीय पंक्ति में "एपीएआर" शब्द के पहले "लिए" शब्द को शामिल किया जाएगा।

पृष्ठ संख्या 102

20. हाइड्रोग्राफिक सेवा अनुभाग के संबंध में

- (i) शीर्षक "हाइड्रोग्राफिक सेवा अनुभाग" शब्दों को रेखांकित किया जाएगा तथा "सेवा" के बाद "का" शब्द को जोड़ा जाएगा।
- (ii) कॉलम सं. 7 को निम्न पैरा के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-
"साइंस ग्रेजुएट और बी.एससी नॉटिकल साइंस ग्रेजुएट के लिए 25 वर्ष से अधिक नहीं ; द्वितीय मेंटस (एफजी)/प्रथम मेंटस (एफजी)/डेज मास्टर ग्रेड-II/डेज मास्टर ग्रेड-I उम्मीदवारों के लिए 30 वर्ष से अधिक नहीं।"
- (iii) कॉलम सं. 8 की 11वीं पंक्ति में शब्द "अनिवार्य" को रेखांकित किया जाएगा।
- (iv) कॉलम सं. 8 की 11वीं पंक्ति में शब्द "के" को शब्द "सहित" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (v) कॉलम सं. 8 की 15वीं पंक्ति में शब्द "डिजाइन" को शब्द "ज्वाइन" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (vi) कॉलम सं. 8 की 18वीं पंक्ति में शब्द "हाइड्रोग्राफर" को शब्द "हाइड्रोग्राफर" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (vii) कॉलम सं. 10 की 7वीं पंक्ति में शब्द "के" के बाद शब्द "बाद" शामिल किया जाएगा।
- (viii) कॉलम सं. 11 की 12वीं पंक्ति में शब्द "समायोजन" को शब्द "समायोजन" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ix) कॉलम सं. 12 को निम्न वाक्य के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-
"प्रशिक्षण परियोजना के अनुसार निर्धारित परीक्षाओं के उत्तीर्ण करने पर प्रशिक्षु मरीन अधिकारियों के समायोजन द्वारा।"

पृष्ठ संख्या 103

कम सं. 21 प्रमारी अधिकारी (सर्वे) के संबंध में

- (i) कॉलम सं. 11 की 8वीं पंक्ति में शब्द "के" के बाद शब्द "द्वारा" शामिल किया जाएगा।
- (ii) कॉलम सं. 12 की द्वितीय पंक्ति में शब्द "पदोन्नति" को रेखांकित किया जाएगा।

पृष्ठ संख्या 103

कम सं. 22 कमांडोर/कमांडर के संबंध में

- (i) कॉलम सं. 2 की तृतीय पंक्ति में शब्द "अधिकारी" के बाद बन्द कोष्ठक ') ' को हटा दिया जाएगा और वाक्य के अंत में पूर्णविराम के पश्चात बन्द कोष्ठक ') ' शामिल किया जाएगा।
- (ii) कॉलम सं. 8 की 5वीं पंक्ति में अंक 5 को शब्द "पौष" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iii) कॉलम सं. 8 की 6वीं पंक्ति में शब्द "वर्षों" को शब्द "वर्षों" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iv) कॉलम सं. 12 की चौथी पंक्ति में शब्द "सर्वेयर्स" को शब्द "सर्वेयर्स" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

पृष्ठ संख्या 103

कम संख्या 23 उप मुख्य हाइड्रोग्राफर के संबंध में

- (i) कॉलम सं. 8 की चौथी पंक्ति में शब्द "रेक" को शब्द "रेक" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ii) कॉलम सं. 8 की 5वीं पंक्ति में शब्द "वर्षों" को शब्द "वर्षों" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iii) कॉलम सं. 12 की तृतीय पंक्ति में शब्द "पदोन्नति" को रेखांकित किया जाएगा।
- (iv) कॉलम सं. 12 की छठी पंक्ति में शब्द "समवेत" के बाद शब्द "न्यूनतम" शामिल किया जाएगा।

पृष्ठ संख्या 104**कम संख्या 24 मुख्य हाइड्रोग्राफर के संबंध में**

- (i) कॉलम सं. 8 की 5वीं पंक्ति में शब्द "वर्षों" को शब्द "वर्षों" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ii) कॉलम सं. 8 की 9वीं पंक्ति में शब्दों "का कारपोरेट सदस्य अवश्य हो" शब्दों को हटा दिया जाएगा शब्द "समतुल्य" के बाद "संस्थान का कारपोरेट सदस्य अवश्य हो।" शामिल किया जाएगा।
- (iii) कॉलम सं. 8 की 18वीं पंक्ति में शब्द "हों" के स्थान पर शब्द "है" प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (v) कॉलम सं. 12 की द्वितीय पंक्ति में शब्द "के लिए" के बाद चिह्न ":-" शामिल किया जाएगा।
- (vi) कॉलम सं. 12 की 8वीं पंक्ति में शब्द "पर" के स्थान पर शब्द "धारी, जिन्हें" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (vii) कॉलम सं. 12 की 9वीं पंक्ति में शब्द "अनुभव" के बाद "हो" को शामिल किया जाएगा।
- (viii) कॉलम सं. 12 की 15वीं पंक्ति में शब्द "पद" के स्थान पर शब्द "पदधारी अधिकारियों" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ix) कॉलम सं. 12 की 17वीं पंक्ति में शब्द "पद" के बाद शब्द "धारी जो" को शामिल किया जाएगा।
- (x) कॉलम सं. 12 की 19वीं पंक्ति में शब्द "पर उक्त ग्रेड" को हटा दिया जाएगा।
- (xi) कॉलम सं. 12 की 19वीं पंक्ति में शब्द "से" को "धारक हों" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (xii) कॉलम सं. 12 की 23वीं पंक्ति में शब्द "जिससे" को "जिसके लिए" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

पृष्ठ संख्या 105**कम संख्या 25 एग्जिक्टिव गोदी पाइलट के संबंध में**

- (i) कॉलम सं. 5 की 9वीं पंक्ति में शब्द "संशोधित" के बाद शब्द "की जानी है" शामिल किया जाएगा।
- (ii) कॉलम सं. 8 की तृतीय पंक्ति में शब्द "विरयविद्यालय" को "विरयविद्यालय" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

पृष्ठ संख्या 105**कम संख्या 25 गोदी पाइलट के संबंध में**

- (i) कॉलम सं. 8 की तृतीय पंक्ति में "मास्टरस" को "मास्टर्स" शब्द के द्वारा तथा 8ठी पंक्ति में शब्द "वर्षों" को शब्द "वर्षों" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ii) कॉलम सं. 11 की प्रथम पंक्ति में शब्द "लागू नहीं" को "लागू नहीं" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iii) कॉलम सं. 12 की 18वीं पंक्ति में शब्द "पास" को शब्द "उत्तीर्ण" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

पृष्ठ संख्या 105**कम संख्या 26 सहायक गोदी मास्टर के संबंध में**

- (i) कॉलम सं. 8 की प्रथम पंक्ति में शब्द "सेकेण्ड" के पूर्व संख्या "i" शामिल की जाएगी।
- (ii) कॉलम सं. 8 की तृतीय पंक्ति में शब्द "(एचडी)" को शब्द "(एचटी)" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iii) कॉलम सं. 8 की तृतीय पंक्ति में "प्रमाणपत्र" शब्द के बाद पूर्णविराम चिह्न "/" शामिल किया जाएगा।
- (iv) उपर्युक्त के बाद, कॉलम सं. 8 की चतुर्थ पंक्ति में "डैक कैंडेट" शब्द से नया अनुच्छेद होगा और इस पैरा के पहले संख्या "ii" शामिल की जाएगी।
- (v) कॉलम सं. 8 की 7वीं पंक्ति में "अनुभव" शब्द को हटा दिया जाएगा तथा उसके बाद पूर्णविराम चिह्न "/" का शामिल किया जाएगा।
- (vi) कॉलम सं. 12 की प्रथम पंक्ति में शब्द "पाइलट" के बाद "के रूप" शब्दों को शामिल किया जाएगा।
- (vii) कॉलम सं. 12 की 5वीं पंक्ति में शब्द "पदोन्नति" को रेखांकित किया जाएगा।

(viii) कॉलम सं. 12 की 5वीं पंक्ति में शब्द "द्वारा" के बाद निम्न वाक्य को शामिल किया जाएगा:-

"जिसके न होने पर स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती के द्वारा"

(ix) कॉलम सं. 13 के पूरा पैरा को हटा दिया जाएगा।

पृष्ठ संख्या 106

क्रम संख्या 26 सहायक गोदी मास्टर के संबंध में

(i) कॉलम सं. 11 की प्रथम पंक्ति में शब्द "द्वारा" के बाद चिह्न '/' हटा दिया जाएगा और अर्धविराम का चिह्न ',' डाला जाएगा।

पृष्ठ संख्या 106

क्रम संख्या 27 उप गोदी मास्टर के संबंध में

(i) कॉलम सं. 12 की 5वीं पंक्ति में शब्द "में" के बाद शब्द "हो," शामिल किया जाएगा।

पृष्ठ संख्या 106

क्रम संख्या 28 वरिष्ठ रेडियो अधिकारी के संबंध में

(ii) कॉलम सं. 2 की द्वितीय पंक्ति में शब्द "रेडियो" को शब्द "रेडियो" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iii) कॉलम सं. 8 की 6ठीं पंक्ति में शब्द "पद" को हटा दिया जाएगा।

(iv) कॉलम सं. 8 की 9वीं पंक्ति से 12वीं पंक्ति अर्थात् "जैसा कि एमओसी द्वारा अधिसूचनानुसार अथवा" शब्दों को निम्न वाक्य के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

"प्रमाणपत्र, जैसा कि एमओसी या डीजी शिपिंग द्वारा अधिसूचित किया गया है तथा"।

(v) कॉलम सं. 8 की अंतिम पंक्ति में शब्द "डीजी शिपिंग" शब्दों को हटा दिया जाएगा।

(vi) कॉलम सं. 12 की द्वितीय पंक्ति में शब्द "पदोन्नति" को रेखांकित किया जाएगा।

पृष्ठ संख्या 107

क्रम संख्या 29 उप मुख्य रेडियो अधिकारी के संबंध में

(i) कॉलम सं. 2 की द्वितीय पंक्ति में शब्द "रेडियो" को शब्द "रेडियो" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) कॉलम सं. 8 की 7वीं पंक्ति में शब्द "प्रमाणपत्र" को शब्द "प्रमाणपत्र" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iii) कॉलम सं. 8 की 8वीं पंक्ति अर्थात् "एमओसी द्वारा अधिसूचनानुसार समकक्ष अथवा जीएमडीएसएस में सामान्य परिचालन प्रमाणपत्र के साथ डीज शिपिंग" को निम्न वाक्य के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

"एमओसी या डीजी शिपिंग द्वारा जारी समकक्ष प्रमाणपत्र तथा जीएमडीएसएस में सामान्य परिचालन प्रमाणपत्र।"

(iv) कॉलम सं. 12 की द्वितीय पंक्ति में शब्द "पदोन्नति" को रेखांकित किया जाएगा।

(v) कॉलम सं. 12 की 7वीं पंक्ति में शब्द "वर्षों" के स्थान पर "वर्षों" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

पृष्ठ संख्या 107

क्रम संख्या 30 मुख्य रेडियो अधिकारी के संबंध में

(i) कॉलम सं. 2 की द्वितीय पंक्ति में शब्द "रेडियो" को शब्द "रेडियो" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) कॉलम सं. 8 की 8वीं पंक्ति अर्थात् "एमओसी द्वारा अधिसूचनानुसार समकक्ष अथवा जीएमडीएसएस में सामान्य परिचालन प्रमाणपत्र के साथ डीज शिपिंग" को निम्न वाक्य के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

"एमओसी या डीजी शिपिंग द्वारा जारी समकक्ष प्रमाणपत्र तथा जीएमडीएसएस में सामान्य परिचालन प्रमाणपत्र।"

(iii) कॉलम सं. 12 की तृतीय पंक्ति में शब्द "पदोन्नति" को रेखांकित किया जाएगा।

161 5715-5

पृष्ठ संख्या 108क्रम संख्या 31 ईआईसी, श्रेणी-II जलयान के संबंध में

- (i) शीर्षक "अभियंता अधीक्षक अनुभाग" में शब्द "अधीक्षक" के बाद शब्द "का" शामिल किया जाएगा।
- (ii) कॉलम सं. 8 की तृतीय पंक्ति में शब्द "(हैय)" को शब्द "(है)" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iii) कॉलम सं. 8 की 9वीं पंक्ति में शब्द "विद्युत" को शब्द "इलेक्ट्रिकल" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (v) कॉलम सं. 8 की 14वीं पंक्ति में शब्द "सीबी" को "सीवी" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा इसी पंक्ति में शब्द "श्रेणी-I" को "श्रेणी-III" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (v) कॉलम सं. 8 की 17वीं पंक्ति में शब्द "वर्षों" को शब्द "वर्ष" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (vi) कॉलम सं. 12 की प्रथम पंक्ति में शब्द "पद" को "रैंक" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (vii) कॉलम सं. 12 की द्वितीय पंक्ति में शब्द "पदोन्नति" को रेखांकित किया जाएगा।
- (viii) कॉलम सं. 12 की चौथी पंक्ति में शब्द "वर्षों" को "वर्ष" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ix) कॉलम सं. 12 की 5वीं पंक्ति में शब्द "हो" के बाद अर्ध विराम का चिह्न " ," शामिल किया जाएगा तथा इसी कॉलम की 6वीं पंक्ति में चिह्न " / " हटा दिया जाएगा।
- (x) कॉलम सं. 12 की 8वीं पंक्ति में शब्द "भर्ती" के बाद शब्द "द्वारा" शामिल किया जाएगा।

पृष्ठ संख्या 108-109क्रम संख्या 32 ईआईसी, श्रेणी. I जलयान के संबंध में

- (i) कॉलम सं. 8 की तृतीय पंक्ति में चिह्न " / " हटा दिया जाएगा।
- (ii) कॉलम सं. 12 की चौथी पंक्ति में शब्द "वर्षों" को "वर्ष" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iii) कॉलम सं. 8 की तृतीय पंक्ति में शब्द "वर्ष" को "वर्षों" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iv) कॉलम सं. 8 की 8वीं पंक्ति में शब्द "के" को और 9वीं पंक्ति में शब्द "सोथ" को हटा दिया जाएगा।
- (v) कॉलम सं. 8 की 10वीं पंक्ति में शब्द "पत्र" के बाद शब्द "के" शामिल किया जाएगा।
- (vi) कॉलम सं. 12 की प्रथम पंक्ति में शब्द "पदोन्नति" को रेखांकित किया जाएगा।

पृष्ठ संख्या 110क्रम संख्या 34 द्वितीय इंजीनियर श्रेणी-I पोत के संबंध में

- (i) कॉलम सं. 8 की 8ठीं पंक्ति में शब्द "वर्षों" को शब्द "वर्ष" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

पृष्ठ संख्या 110क्रम संख्या 35 चीफ इंजीनियर श्रेणी-I जलयान के संबंध में

- (i) कॉलम सं. 11 की प्रथम पंक्ति में शब्द "समायोजन" को शब्द "पदोन्नति" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ii) कॉलम सं. 11 की 8ठीं पंक्ति में शब्द "द्वारा" के बाद अर्ध विराम का चिह्न " ," शामिल किया जाएगा।
- (iii) कॉलम सं. 12 की प्रथम पंक्ति में शब्द "इंजीनीयर" को "इंजीनियर" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और उसके बाद शब्द "श्रेणी-I जलयान" शब्दों को शामिल किया जाएगा।

पृष्ठ संख्या 110क्रम संख्या 36 कमांडोर चीफ इंजीनियर श्रेणी-I जलयान के संबंध में

- (i) कॉलम सं. 8 की 7वीं पंक्ति में शब्द "वर्षों" को शब्द "वर्ष" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

पृष्ठ संख्या 110-111

क्रम संख्या 37 सहायक अभियंता अधीक्षक के संबंध में

- (i) कॉलम सं. 8 की 8वीं पंक्ति में शब्द "इंजीनियर" को हटा दिया जाएगा।
- (ii) कॉलम सं. 8 की 10वीं पंक्ति में शब्द "बड़े" के पहले शब्द "किसी" को शामिल किया जाएगा। इसी पंक्ति के अंतिम शब्द "का" को शब्द "के" मुख्य अभियंता के रूप में शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा "वर्ष" को "वर्षों" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iii) पृष्ठ संख्या 110-111 के कॉलम सं. 8 की द्वितीय पंक्ति में शब्द "वांछनीय" शब्द को "वांछनीय" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और उसके बाद, "विहन" शामिल किया जाएगा।

क्रम संख्या 38 उप अभियंता अधीक्षक ओसी (पल्लन दुरेजिंग) के संबंध में

- (i) कॉलम सं. 8 की प्रथम पंक्ति में शब्द "अनिवार्य" को शब्द "अनिवार्य" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ii) कॉलम सं. 8 की 11वीं पंक्ति में शब्द "वर्षों" को शब्द "वर्षों" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iii) कॉलम सं. 8 की 12वीं पंक्ति में शब्द "तक" को शब्द "के लिए" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iv) कॉलम सं. 8 की 14वीं पंक्ति में शब्द "वांछनीय" को शब्द "वांछनीय" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (v) कॉलम सं. 11 की प्रथम पंक्ति में "पदोन्नति" शब्द को रेखांकित किया जाएगा 8ठीं पंक्ति में "विहन" को हटा दिया जाएगा और इसी पंक्ति में शब्द "द्वारा" के बाद अर्धविराम का चिह्न "।" शामिल किया जाएगा।
- (vi) कॉलम सं. 12 की तीसरी पंक्ति में शब्द "पद" को "रैंक" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (vii) कॉलम सं. 12 की 9वीं पंक्ति में शब्द "वर्षों" को शब्द "वर्षों" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

क्रम संख्या 39 अभियंता अधीक्षक के संबंध में

- (i) कॉलम सं. 8 की प्रथम पंक्ति में शब्द "अनिवार्य" को शब्द "अनिवार्य" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ii) कॉलम सं. 8 की 9वीं पंक्ति में शब्द "में" के बाद शब्द "किसी" को शामिल किया जाएगा।
- (iii) कॉलम सं. 8 की 11वीं पंक्ति में शब्द "तक" को शब्द "के लिए" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iv) कॉलम सं. 8 की 14वीं पंक्ति में शब्द "वांछनीय" को शब्द "वांछनीय" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (v) कॉलम सं. 8 की अंतिम पंक्ति के अंतिम शब्द "द्वारा" के बाद पूर्णविराम का चिह्न "।" शामिल किया जाएगा।
- (vi) कॉलम सं. 12 की द्वितीय पंक्ति में शब्द "हेतु" को शब्द "हेतु" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (vii) कॉलम सं. 12 की 4थीं पंक्ति में शब्द "अथवा" के बाद शब्द "किसी" को शामिल किया जाएगा।
- (viii) कॉलम सं. 12 की 5वीं पंक्ति में शब्द "तथा" को शब्द "उप" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ix) कॉलम सं. 12 की 6ठीं पंक्ति में शब्द "ईएस" के बाद शब्द "।/ओसीपीडी" शामिल किया जाएगा तथा "।/ओसीपीडी" शब्द के बाद "सहा. ईएस तथा समतुल्य पदधारी" शब्दों को शामिल किया जाएगा तथा "संयुक्त रूप से शब्दों" के पहले के पद पर शब्दों को हटा दिया जाएगा।
- (x) कॉलम सं. 12 की 7वीं पंक्ति में शब्द "वर्षों" को शब्द "वर्षों" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (xi) कॉलम सं. 12 की 10वीं पंक्ति में शब्द "प्रतिनियुक्ति" के बाद "के लिए, किसी" शब्दों को शामिल किया जाएगा।
- (xii) कॉलम सं. 12 की 17वीं पंक्ति में शब्द "पदधारित" के बाद शब्द "अधिकारी" को शामिल किया जाएगा तथा शब्द "हैं" को हटा दिया जाएगा।

पृष्ठ सं. 112

क्रम संख्या 40 स्थापना अधिकारी के संबंध में

- (i) कॉलम सं. 8 की तीसरी पंक्ति में शब्द "डिग्री" के बाद पूर्णविराम का चिह्न "।" शामिल किया जाएगा।

(ii) कॉलम सं 8 की 4थी पंक्ति में शब्द "वांछनीय" को शब्द "वाञ्छनीय" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

पृष्ठ संख्या 112

क्रम संख्या 41 अधीक्षक (न्यू कस्ट्रक्शन) के संबंध में

- (i) कॉलम सं. 8 की प्रथम पंक्ति में शब्द "अनिवार्य" को शब्द "अनिवार्य" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ii) कॉलम सं. 8 की 9वीं पंक्ति में शब्द "बड़े" के पहले शब्द "किसी" शामिल किया जाएगा तथा इसी पंक्ति में शब्द "पेत" के स्थान पर शब्द "पोत" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iii) कॉलम सं. 8 की 10वीं पंक्ति में शब्द "वर्षों" को शब्द "वर्षों" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iv) कॉलम सं. 12 की तीसरी पंक्ति में शब्द "पद" को शब्द "रैंक" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (v) कॉलम सं. 12 की 4थी पंक्ति में शब्द "स्थानांतरण" शब्द के बाद "पदोन्नति" शब्द को शामिल किया जाएगा।
- (vi) कॉलम सं. 12 की 9वीं पंक्ति में शब्द "वर्षों" को शब्द "वर्षों" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (vii) कॉलम सं. 12 की 12वीं पंक्ति में शब्द "पतिनियुक्ति/सीधी" को शब्द "प्रतिनियुक्ति/सीधी" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (viii) कॉलम सं. 12 की 15वीं पंक्ति से 18वीं पंक्ति अर्थात् वाक्य 'इस पद पर सेवा समकक्ष माना जाएगा, जो सहा. अधीक्षक के पद पर सेवारत हो।' को 'इस रैंक पर सेवा सहा. अधीक्षक के रैंक पर सेवा के समकक्ष समझी जाएगी।' वाक्य के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

पृष्ठ सं 113

क्रम संख्या 42 सुरक्षा व पर्यावरण प्रतिरोधी अधिकारी के संबंध में

- (i) कॉलम सं. 2 की द्वितीय पंक्ति में शब्द "पर्यावरण" को शब्द "प्रदूषण" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ii) कॉलम सं. 8 की तीसरी पंक्ति में शब्द "रसायनघ्रायोगिक" को शब्द "रसायन/प्रायोगिक" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iii) कॉलम सं. 8 की 10वीं पंक्ति में शब्द "पर्यावरण" को शब्द "प्रदूषण" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

पृष्ठ संख्या 113

क्रम संख्या 43 अधीक्षक, बोट रजिस्ट्रेशन के संबंध में

- (i) कॉलम सं. 8 की प्रथम पंक्ति में शब्द "नी-सेना" को शब्द "नी" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ii) कॉलम सं. 8 की तीसरी पंक्ति में शब्द "अथवा" के बाद शब्द "किसी" शब्द को शामिल किया जाएगा।
- (iii) कॉलम सं. 8 की 7वीं पंक्ति में शब्द "तक" को शब्द "की" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

क्रम संख्या 44 पोत-शिल्पी के संबंध में

- (i) कॉलम सं. 8 की प्रथम पंक्ति में शब्द "नी-सेना" को शब्द "नी" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ii) कॉलम सं. 8 की तीसरी पंक्ति में शब्द "अथवा" के बाद शब्द "किसी" शब्द को शामिल किया जाएगा।
- (iii) कॉलम सं. 8 की 6वीं पंक्ति में शब्द "तक" को शब्द "की" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iv) कॉलम सं. 8 की 16वीं पंक्ति में शब्द "वर्षों" को शब्द "वर्षों" शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. पी आर-12012/4/2014-पीई-1]

एन. मुद्गनन्दम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2014

G.S.R. 23 (E).— In the Ministry of Shipping Notification G.S.R. 687 (E) dated 15th October, 2013 published in the Gazette of India (Extraordinary), typographical errors are rectified as follows:

- 1)
 - i) At page no.186, in the second line a bracket “)” will be inserted after the word Division.
 - ii) The pages from 193 to 203, of the Gazette Notifications should be deleted, as it has been printed twice
- 2) **Recruitment Rules for Class-I posts of General Administration Department (Main Administration);**
 - i) After the end of the post of Secretary on page no. 209, the following will be inserted, “(*) In Departments/Divisions where percentage of direct recruitment is higher at present than what has been prescribed now, it may continue.”
At page no. 209, under column no. 2, the word ‘Hindi Officer’ will be replaced by the word ‘Sr. Asstt. Secretary (OL)’.
 - ii) At page no. 213, under column no. 12, line no. eight, the word “whih” will be replaced by the word “which”.
- 3) **Recruitment Rules for Class-I posts of Labour and Industrial Relations Division (L&IR) under General Administration Department; -**
 - i) At page no. 219, Sl.no.1, Column no. 8, the letter “I” after the word institution will be deleted. The new Para starting with the word “Two” will be renumbered as (ii) in lieu of (i).
- 4) **Recruitment Rules of Class-I posts for Estate Division under General Administration Department: -**
 - i) At page no. 227 against the post of Dy. Estate Manager, under Column no. 12, the Pay scale of “Rs. 10,750-16,750/-“will be replaced by “Rs. 20,600-46,500/-“.
And against the post of Estate Manager, under Column no. 12, line no. 13 the word “GAD” will be replaced by the word “GAD/Estate Divn.”
 - ii) At page no. 229 against the post of Assistant Estate Manager (Legal) under column no. 2 & 13 the word “Assistant Estate Manager (Legal)” will be replaced by the word “Sr. Assistant Estate Manager (Legal)” and under column no. 12 the word “ACRs” will be replaced by “APARs”.
- 5) **Recruitment Rules for Class-I Posts of Traffic Department: -**
 - i) At page no. 230, under column no. 2, in the heading “Name of the Port” will be replaced by “Name of the Post”
 - ii) At page no. 232 under column no. 12, the following will be substituted after the word “the” : -
“selection is by merit for which the bench mark in overall grading in APARs will not be below “Very good.”
 - iii) At page no. 234, under column no. 12, line no. 1, the word, “Addl. Traffic Manager” will be replaced by the word “Sr. Dy. Traffic Manager”.
And after the end of Traffic Department, the following will be inserted: -
“(*) In Departments/Divisions where percentage of direct recruitment is higher at present than what has been prescribed now, it may continue.”
- 6) **Recruitment Rules for Class-I Posts of Mechanical and Electrical Engineering Department: -**
 - i) At page No. 234 against the post of Executive Engineer under column No. 12, line no.4, the word “sefty” will be replaced by “safety”.
 - ii) At page no. 242 under column no. 11, in the heading “Method of the recruitment,” after the end of the word “deputation”, one bracket “)” will be inserted.
And at page no. 242, under column no. 12, line no. 4, the word “Personnel” will be replaced by “Dy. Personnel”.
- 7) **Recruitment Rules for Class-I Posts of Materials Management Division under Mechanical and**

शब्द

TI

पर
किया

Electrical Engineering Department:

- i) At page no. 243, under column no. 11, in the heading "Method of the recruitment", after the end of the word "deputation", one bracket ")" will be inserted.

8) **Recruitment Rules for Class-I Posts of Finance Department: -**

- i) At page no. 249, under column no. 13, the existing words "one post of Sr. Dy. CAO will be re-designated as Sr. Dy. CAO" will be replaced by "Existing posts of Addl. CAO will be designated as Sr. Dy. CAO".
- ii) At page no. 252, under column no. 12, line no. 2 the word 'Addl. Chief Accounts Officer' will be replaced by the words 'Sr. Dy. Chief Accounts Officer'."

And after the end of Finance Department, the following will be inserted:

"(*) In Departments/Divisions where percentage of direct recruitment is higher at present than what has been prescribed now, it may continue."

9) **Recruitment Rules for Class-I Posts of Planning and Research Division under Finance Department: -**

- i) At page no. 253, under column number 9, at (b) the word "No" will be replaced by the word "Yes".
- ii) At page no. 254, under column no. 12, line no. 3 the word "4 years" will be replaced by "5 years".
- iii) At pages no. 255, 256, 259, under column no. 12, the word "Deputy Manager (System)" will be replaced by the word "Deputy Director (EDP)".
- iv) At pages no. 260 & 261, under column no. 12, the word "Sr. Deputy Manager (System)" will be replaced by the word "Sr. Deputy Director (EDP)".
- v) At page no. 257, for the post of Dy. Director (Research), under column number 12, line no. 2, the word "Asstt. Director" will be replaced by the word "existing Class-II officers of Planning Division". And in line no. 13, the word "Asstt. Director" will be replaced by the word "Class-II Officer". Under column no. 13, line no. 2, the word "Statistical Officer" will be replaced by the word "Statistical Officer/Asstt. Director". Under line no. 11 the word "redesignated" will be replaced by the word "designated".
- vi) At pages number 257, 258, 260, for the post of Dy. Director (Research), Sr. Dy. Director (Research) and Joint Director, under column number 9, (b) the word "post graduate degree" will be replaced by the word "degree". On the same pages under column number 8, under the heading "Essential:" (i), the word "Degree in" will be replaced by the word "Degree with".
- vii) At page no. 259, column no. 12, pay scale of "Rs. 10,750-16,750/-" will be replaced by "Rs. 20,600-46,500/-".
- viii) At page no. 260, under column no. 13, line no. 5, the letter "e-" will be replaced by the word "re-". And under page 260, for the post of "Joint Director" under column number 13, line no. 2, the word "Deputy Director (P&R)" will be replaced by the word "Director (P&R)". And under Column no. 12, line no. 19, the word "Finance Deptt." will be replaced by the word "Finance Deptt./ Research/EDP unit".
- ix) At page no. 261, under column no. 12, the word "ACRs" will be replaced by the word "APARs" and under column no. 8, line no. 4, "(PG degree/diploma)" will be read as "(PG degree/diploma)".

10) **Recruitment Rules for Class-I Posts of Civil Engineering Department: -**

- i) "Recruitment Rules of Class-I Posts of Civil Engineering Department" will be inserted as the

heading at page no. 262.

Also under column no. 11, under the heading "Method of the recruitment," after the word "deputation", a bracket ")" will be inserted.

And in Column no. 13, line no. 20, the word "first 35%" will be replaced by the words "first 45%".

ii) At page no. 264, under column no. 12, line no. 33, Capital "W" will be small "w".

11) Recruitment Rules for Class-I Posts of Civil Engineering Department (Environment Wing) :-

i) At page no. 270 under column no. 12, in the second line, the word "serfice" will be replaced by the word "service".

And the word "ACRs" will be replaced by the word "APARs".

12) Recruitment Rules for Class-I Posts of Medical Department :-

i) At page no. 271, against the post of Matron, column no. 11, the words 'failing which by transfer, deputation/direct recruitment' will be inserted after the word 'By promotion'

ii) At page no. 273, against the post of Sr. Dy. Chief Medical Officer (Specialist), under column no. 8, iii), 'A degree/diploma in Hospital Management from recognized institute.' will be deleted.

iii) At page no. 274, under column no. 8, the words "Years years" will be replaced by "years".

iv) At page no. 275, against the post of Chief Medical Officer, under column no. 8, words "years years" will be replaced by "years".

Under column no. 12, line no. 17, the words "with years" will be replaced by "with 2 years".

13) Recruitment Rules for Class-I Posts of Vigilance Department :-

i) At page no. 277, under column no. 2, in the heading "Name of the Post" will be replaced by "Name of the Post".

14) Recruitment Rules for Class-I Posts of Hydraulic Study Department :-

i) At page no. 282 under Column no. 13, line no. 7 & 12, the Pay scale of "Rs. 14500-18700/- and Rs. 16000-20800/-" will be replaced by "Rs. 29100-54500/- and Rs. 32900-58000/-"

ii) At page no. 283, under column no. 12, line no. 18, the letters "rs." will be replaced by the letters "Rs."

Under Column No. 8 following will be inserted after the word "undertaking": -

"(with application of remote sensing and GIS in river hydraulics)".

Following will be inserted after the end of column no. 12: -

"Rs. 24900-50500/- in Govt./PSUs or Autonomous Bodies with 3 years regular service in the grade will be eligible.

The selection by merit for which the bench mark in overall grading in the APARs will not be below "Very good"."

iii) At page no. 285, after the end of Hydraulic Study Department, the following will be inserted: -

"(*) In Departments/Divisions where percentage of direct recruitment is higher at present than what has been prescribed now, it may continue.

15) Recruitment Rules for Class-I Posts of Marine Department :-

i) At page no. 286, under column no. 2, in the heading "Name of the Post" will be replaced by "Name of the Post".

ii) At page no. 288, under column no. 12, line no. 23, following will be inserted after end of the line, "in a Major Port Trust".

iii) At page no. 291, under column no. 5, line no. 4 the word "wil" will be replaced by "will".

iv) At page no. 295, against the post Harbour Master (Port) / (River), under column no. 12, line no. 10, the words "the the" will be replaced by the word "the".

v) At page no. 303, against the post Apprentice Dock Polit, under column no. 5, line no. 3, the bracket ")" will be deleted.

- vi) At page no. 309, against the post of Engineer Superintend, under column no. 12, line no. 6 the word "Dy. ES/OCPD/Asstt. ES and equivalent post taken together" will be inserted in place of "Dy. ES/OCPD and Asstt. ES taken together".
- 16) At page no. 313, the words "HALDIA DOCK COMPLEX" will be replaced by the words "SCHEDULE OF HALDIA DOCK COMPLEX".
- 17) Recruitment Rules for the Class-I posts of General Managers: -
- i) At page no. 313, Column no. 8, line no. 11, the letters "ion" will be deleted.
 - ii) At page nos. 314, 315 and 316, column no. 12, the word "major Port Trust" will be replaced by the words "Major Port Trust".
 - iii) At page no. 315, column no. 8 & 12 for General Manager (Engineering) the words "Electronics and communication" will be replaced by the words "Electronics and Communication".
- 18) Recruitment Rules for Class-I posts of Administration Division under General Manager (M&S): -
- i) At page no. 320, as printed "SCHEDULE OF HALDIA DOCK COMPLEX" will be deleted. And at column no. 13, the word "Admn. Officer (Computer)" should be replaced by the words "Asstt. Manager (Admn.)".
 - ii) At page no. 322, column no. 10, for the post of Dy. Manager, "period of probation (in years)" will be "2".
 - iii) At page no. 324, after the end of column no. 13, the following will be inserted: -
"The existing post of Jr. Asstt. Manager (Fire) will be re-designated as Sr. Fire & Security Officer"
- 19) RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POST OF PRIVATE SECRETARIES UNDER GENERAL MANAGER (M&S): -
- i) At page no. 326, the heading will be "RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF ADMINISTRATION DIVISION UNDER GENERAL MANAGER (M&S) - (PRIVATE SECRETARY)" instead of "RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POST OF PRIVATE SECRETARIES UNDER GENERAL MANAGER (M&S)".
- 20) Recruitment Rules for Class-I posts of Finance Division under General Manager (M&S): -
- i) At page no. 329, the heading will be "RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF FINANCE DIVISION UNDER GENERAL MANAGER (FINANCE)" instead of "RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POST OF FINANCE DIVISION UNDER GENERAL MANAGER (M&S)".
- 21) Recruitment Rules for Class-I posts of Medical Division under General Manager (M&S): -
- i) At page no. 332, to the post of Dy. Medical Supdt. (Specialist), Column no. 12 Line no. 6, the word "As direct recruits," will be deleted.
- 22) Recruitment Rules for Class-I posts of Traffic Operations (SH & CH) Division, under General Manager (Traffic Operations): -
- i) At page no. 334, the heading will be "RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF TRAFFIC OPERATIONS (SH & CH) DIVISION UNDER GENERAL MANAGER (TRAFFIC)" instead of "RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POST OF TRAFFIC OPERATIONS (SH & CH) DIVISION UNDER GENERAL MANAGER (TRAFFIC OPERATIONS)".
 - ii) At page no. 335, column no. 11, the words "By promotion, failing which, by Absorption/Deputation, failing both, by Direct Recruitment." will be replaced by the words, "By Absorption through composite method, failing which, by Deputation, and failing both, by Direct Recruitment."
- 23) Recruitment Rules for Class-I posts of Traffic Operations (RLYS) Division, under General Manager (Traffic Operations): -
- i) At page no. 336, the heading will be "RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF TRAFFIC OPERATIONS (RLYS) DIVISION UNDER GENERAL MANAGER (TRAFFIC)" instead of "RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POST OF TRAFFIC OPERATIONS

(RLYS) DIVISION UNDER GENERAL MANAGER (TRAFFIC OPERATIONS)".

And at column no. 3, against the post of Asstt. Manager, number of posts will be "9" (Nine) has not been printed.

24) Recruitment Rules for Class-I posts of Plant & Equipment Division, under General Manager (Marine Operations & Engineering): -

- i) Page no. 338 to 340 will be deleted, as the same has been printed twice.
- ii) At page no. 341, the heading will be "RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF PLANT & EQUIPMENT DIVISION UNDER GENERAL MANAGER (ENGINEERING)" instead of "RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POST OF PLANT & EQUIPMENT DIVISION UNDER GENERAL MANAGER (MARINE OPERATIONS & ENGINEERING)". And at page no. 341, column no. 13, line no. 16, the word "Sr. Plant Engineer" will be inserted after the word "Asstt. Ex. Engineer (P&E)".
- iii) At page no. 343 column no. 12, Post of Asstt. Manager (Safety), the word "discipline" will be replaced by the word "department".

25) Recruitment Rules for Class-I posts of MM Division under General Manager (Engineering): -

- i) Recruitment Rule of MM Division will be inserted in the RR as the same has not been printed in English version of the "Notification". (RR enclosure).
- ii) The heading will be "Recruitment Rules for Class-I posts of MM Division under General Manager (Engineering)" by replacing "Recruitment Rules for Class-I posts of MM Division under General Manager (Marine Operations & Engineering)".

26) Recruitment Rule for Class-I posts of I&CF Division, under Manager (Marine Operations & Engineering): -

- i) At page no. 344, the heading will be "RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF I & CF DIVISION UNDER GENERAL MANAGER (ENGINEERING)" instead of "RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POST OF I & CF DIVISION UNDER GENERAL MANAGER (MARINE OPERATIONS & ENGINEERING)".
- ii) At page no. 345, to the post of Dy. Manager, Column no. 9, the word "/Construction Engineering" should be deleted.

And in column no. 12, line no.10, to the post of Sr. Dy. Manager, the pay scale of "Rs. 20600-46500/-" will be replaced by "Rs. 20600-46500/-".

27) Recruitment Rule for Class-I posts of Marine Operations Division under General Manager (Marine Operations & Engineering): -

- i) At page no. 346, the heading will be "RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF MARINE OPERATIONS DIVISION UNDER GENERAL MANAGER (MARINE)" instead of "RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POST OF MARINE OPERATIONS DIVISION UNDER GENERAL MANAGER (MARINE OPERATIONS & ENGINEERING)".
- ii) At page no. 347, column no. 3, against the post of Dy. Manager (Marine Operations), number of post should be "1", which has not printed in RR.
- iii) At page no. 349 column no. 12, against the post of Chief Engineer, the word "discipline" will be replaced by the word "department".
- iv) At page no. 350 column no. 12, against the post of Manager, the word "discipline" will be replaced by the word "department".

Encl: Recruitment rule of MM Division. (English version)

[F.No. PR-12012/4/2014-PE-I]
N. MURUGANANDAM, Jt. Secy.